लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३१, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXI, 1964/1886 (Saka)

[२९ अप्रैल से ६ मई, १९६४/९ से १६ वैशाख, १८८६ (शक)]

April 29 to May 6, 1964/Vaishakha 9 to Vaisakha 16, 1886 (Saka)

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

Preservation Unit
1-5-92
Fumigated
On 11/12/83
Parliament Library

(खण्ड ३१ में अंक ६१ से ६६ तक हैं)

(Volume XXXI contains Nos. 61 to 66)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद हैं।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

702 (Ai) LS---1

विषय-सूची

अंक ६४—सोमवार, ४ मई, १९६४/१४ वैशाख, १८८६ (शाक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	४९४९-७४
* तारांकित प्रश्न संख्या	
१२९२ बाड़मेड़ क्षेत्र से पाकिस्तानियों की निकासी . .	४९४९-५१
१२९३ भूटान के प्रधान मंत्री की हत्या . . .	४९५१
१३०१ भूटान के प्रधान मंत्री की हत्या . . .	४९५२-५७
१२९४ दिल्ली में इजराइली स्वतंत्रता दिवस समारोह . .	४९५७-६३
१२९५ आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये स्वायत्तता . .	४९६३-६६
१२९६ सैनिकों के लिये नाम के बिल्ले . . .	४९६७-६८
१२९७ फिल्म पुरस्कार	४९६८-७०
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	
२३ पश्चिम पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रव्रजक . .	४९७०-७४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	४९७४-९०
तारांकित प्रश्न संख्या	
१२९८ विदेशों में भारतीय दूतावास	४९७४
१२९९ नेफा में प्रशासनिक सुधार	४९७४
१३०० आसाम की सीमा पर पाकिस्तानियों का धावा . .	४९७५
१३०२ भारतीय और पाकिस्तान कमारों की बठक . .	४९७५-७६
१३०३ जहाजों का निर्माण	४९७६
१३०४ पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय सर्वेक्षण अधिकारी की गिरफ्तारी	४९७६-७७
१३०५ पत्रकारिता का प्रशिक्षण	४९७७
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२७८४ भारतीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र . . .	४९७७
२७८५ केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना .	४९७७-७८

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 64—Monday, May 4, 1964/Vaisakha 14, 1886 (Saka)

	Subject	Page
Oral Answers to Questions—		4949—74
**Starred Questions Nos.*		
1292	Evacuation of Pakistanis from Barmer Area . .	4949—51
1293	Assassination of Bhutan P.M.	4951
1301	Assassination of Bhutan P.M.	4952—57
1294	Israeli Independence Day Reception at Delhi .	4957—63
1295	Autonomy for Hill Districts in Assam . . .	4963—66
1296	"Name Tags" for Army Men	4967—68
1297	Film Awards	4968—70
Short Notice Question No.		
23	Migrants from West Pakistan . .	4970—74
Written Answers to Questions—		4974—90
Starred Questions Nos.		
1298	Indian Missions Abroad	4974
1299	Administrative Reform in NEFA	4974
1300	Pakistani Raid on Assam Border	4975
1302	Indo-Pakistani Commanders' Meeting . . .	4975—76
1303	Manufacture of Ships	4976
1304	Arrest of Indian Survey Officer by Pakistanis .	4976—77
1305	Training in Journalism	4977
Unstarred Questions Nos.		
2784	Indian Cancer Research Centre	4977
2785	E.S.I. Scheme in Kerala	4977—78

*The sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२७८६	मजूरी बोर्डों की दिल्ली में बैठकें	४९७८
२७८७	इंगलैंड में भारतीय उच्च आयोग	४९७८
२७८८	सेना के खच्चरों के साथ निषिद्ध माल का आयात	४९७९
२७८९	नौसेना के हैलीकाप्टर	४९७९
२७९०	जम्मू तथा काश्मीर में सीमावर्ती झगड़े	४९८०
२७९१	असम में सैनिक स्कूल	४९८०–८१
२७९२	विशाखापटनम पत्तन	४९८१
२७९३	परियोजना "फोनिक्स"	४९८१–८२
२७९४	उद्योगों में प्रशिक्षुओं और अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण	४९८२
२७९५	कोयला खान भविष्य निधि, धनबाद	४९८२
२७९६	पाकिस्तान को विरोध पत्र	४९८२
२७९७	शक्तिमान ट्रक	४९८३
२७९८	गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर	४९८३
२७९९	मध्य-पूर्व के देशों में पूर्वी पाकिस्तान की हिन्दू लड़कियां	४९८३–८४
२८००	पत्रिकाओं का प्रकाशन	४९८४
२८०१	पूर्वी पाकिस्तानी राइफल्स द्वारा अवैध प्रवेश	४९८४–८५
२८०२	आर्मी आर्डनेन्स कोर	४९८५
२८०४	रोजगार लक्ष्य	४९८५–८६
२८०५	रेलगाड़ी से गोला-बारुद की चोरी	४९८६
२८०६	बस्तर जिले में रेडियो स्टेशन	४९८६
२८०७	युद्ध-क्षेत्रों में जवान	४९८६–८७
२८०८	सैनिक स्कूलों में छात्रवत्तियां	४९८७–८८
२८०९	उड़ीसा में श्रम कल्याण उपाय	४९८८
२८१०	दिल्ली में टेलीविजन सेट	४९८८–८९
२८११	लद्दाख के विस्थापित मुस्लिम परिवार	४९८९
२८१२	बर्मा के विमान द्वारा वायु सीमा का कथित अतिक्रमण	४९८९–९०
२८१३	प्रतिरक्षा के लिये इलैक्ट्रॉनिक उपकरण	४९९०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(१) पुछ के बिजलीघर में हुआ बम विस्फोट; तथा . . . ४९९०–९१

(२) दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के किराये में वृद्धि का विरोध करने वाली जनता और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ . . . ४९९१–९४

श्री कपूर सिंह . . . ४९९१–९२

श्री हाथी . . . ४९९२–९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४९९४–९५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ४९९५

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2786	Sittings of Wage Boards in Delhi . . .	4978
2787	Indian High Commission in U.K. . . .	4978
2788	Import of Contraband Goods alongwith Army Mules .	4979
2789	Navy Helicopter	4979
2790	Border Clashes in Jammu and Kashmir . .	4980
2791	Sainik School in Assam	4980—81
2792	Visakhapatnam Port	4981
2793	'Project 'Phoenix'	4981—82
2794	Training for Apprentices and Instructors in Industries	4982
2795	Coal Mines Provident Fund, Dhanbad . . .	4982
2796	Protest Note to Pakistan	4982
2797	Shaktiman Trucks	4983
2798	Gun Carriage Factory, Jabbalpur	4983
2799	East Pakistani Hindu Girls in Middle East Countries .	4983—84
2800	Publication of Journals	4984
2801	Trespassing by East Pakistani Rifles . . .	4984—85
2802	Army Ordnance Corps	4985
2804	Employment Targets	4985—86
2805	Theft of Ammunition from Train . . .	4986
2806	Radio Station in Bastar District	4986
2807	Jawans in Operational Areas	4986—87
2808	Scholarships in Sainik Schools	4987—88
2809	Labour Welfare Measure in Orissa . . .	4988
2810	Television sets in Delhi	4988—89
2811	Displaced Muslim Families of Ladakh . . .	4989
2812	Alleged Air Violation by Burmese Plane . .	4989—90
2813	Electronic Equipment for Defence . . .	4990

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance

1. Bomb explosion in Poonch Power House ; and . . 4990—91
2. Scuffle between Police and public in connection with agitation against rise in D.T.U. Bus fares . . . 4991—94
   Shri Kapur Singh . . . . . 4991—92
   Shri Hathi . . . . . 4992—94

Papers laid on the Table . . . 4994—95

President's assent to Bills 4995

विषय	पृष्ठ
अनुपस्थिति की अनुमति	४९९५–९६
मंजूरी भुगतान (संशोधन) विधेय–क–पुरःस्थापित	४९९६
पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक	४९९६—५००७
विचार करने का प्रस्ताव	४९९६
श्री स० मो० बनर्जी	४९९६–९७
श्री उ० मू० त्रिवेदी	४९९७–९८
श्री अ० त्रि० शर्मा	४९९८–९९
श्रीमती राज्यलक्ष्मी	४९९९
श्री अ० ना० विद्यालंकार	४९९९–५०००
डा० उ० मिश्र	५०००
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	५०००
डा० च० भा० सिंह	५०००—०१
श्री बागड़ी	५००१
श्री श्यामलाल सर्राफ	५००१
डा० मा० श्री० अणे	५००१–०२
श्री गौरी शंकर कक्कड़	५००२–०३
डा० सरोजिनी महिषी	५००३
डा० द० स० राजू	५००४–०५
खण्ड २ से ६ और १	५००५
पारित करने का प्रस्ताव	५००५
डा० द० स० राजू	५००५—०७
दिल्ली (शक्तियों का प्रयायोजन) विधेयक	५००७—१०
विचार करने का प्रस्ताव	५००७
श्री ल० ना० मिश्र	५००७
श्री गौरी शंकर कक्कड़	५००७–०८
श्री उ० मू० त्रिवेदी	५००८–०९
खण्ड २, ३ और १	५००९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५००९
श्री ल० ना० मिश्र	५००९–१०
भेषज तथा श्रृंगार-सामग्री (संशोधन) विधेयक	५०१०—१२
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५०१०—१२
डा० द० स० राजू	५०१२

Subject

Page

Leave of absence 4995-96

Payment of Wages (Amendment) Bill—introduced . . . 4996

East Punjab Ayurvedic & Unani Practitioners' (Delhi Amendment) Bill . . . . 4996—5007

Motion to consider 4996

Shri S. M. Banerjee 4996-97
Shri U. M. Trivedi 4997-98
Shri A. T. Sarma 4998-99
Shrimati Rajyalaxmi 4999
Shri A. N. Vidyalankar . . . . . . 4999—5000
Dr. U. Misra 5000
Shri Jagdev Singh Sidhanti 5000
Shri Chandrabhan Singh 5000-01
Shri Bagri 5001
Shri Sham Lal Saraf 5001
Dr. M. S. Aney 5001-02
Shri Gauri Shankar Kakkar 5002-03
Dr. Sarojini Mahishi 5003
Dr. D. S. Raju 5004-05

Clauses 2 to 9 and 1 5005

Motion to pass 5005

Dr. D. S. Raju . . . . 5005—07

Delhi (Delegation of Powers) Bill . . . 5007—10

Motion to consider 5007

Shri L. N. Mishra 5007
Shri Gauri Shankar Kakkar 5007-08
Shri U. M. Trivedi 5008-09

Clauses 2, 3 and 1 5009

Motion to pass, as amended 5009

Shri L. N. Mishra 5009-10

Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill . . . . . 5010—12

Motion to consider, as passed by Rajya Sabha . . 5010—12

Dr. D. S. Raju 5012

विषय		पृष्ठ
अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों से आने वाले भारतीयों के बारे में चर्चा		५०१२—१९
	श्री हरिश्चन्द्र माथुर	५०१२-१३
	श्री इकबाल सिंह	५०१३-१४
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	५०१४-१५
	श्री दी० चं० शर्मा	५०१५-१६
	श्री श्यामलाल सर्राफ	५०१६-१७
	श्री दिनेश सिंह	५०१७—१९
महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के बारे में आधे-घंटे की चर्चा		५०१९—२२
	श्री ति० त० कृष्णमाचारी	५०१९
	श्री स० मो० बनर्जी	५०१९-२०
	श्री नाथपाई	५०२१-२२
राज्य सभा के सदस्य के गलती से लोक-सभा में प्रवेश के बारे में		५००३, ५०२२

Subject	Page

Discussion re : Indian Repatriates from newly independent countries of Africa	5012—19
Shri Harish Chandra Mathur	5012-13
Shri Iqbal Singh	5013-14
Shri Indrajit Gupta	5014-15
Shri D. C. Sharma	5015-16
Shri Sham Lal Saraf	5016-17
Shri Dinesh Singh	5017—19
Half-an-Hour Discussion re : revision of Dearness Allowance	5019—22
Shri T. T. Krishnamachari	5019
Shri S. M. Banerjee	5019-20
Shri Nath Pai	5021-22
Re : Mistaken entry of Rajya Sabha Member into Lok Sabha	5003—5022

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

------

4 मई, 1964। 14 वैशाख, 1886 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 4989, नीचे से दूसरी पंक्ति, "प्रतिरक्षा मंत्री" के स्थान पर "प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 4998, ऊपर से पंद्रहवीं पंक्ति, सदस्य का नाम "श्री च० वि० शर्मा" के स्थान पर "श्री अ० त्रि० शर्मा" पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, ४ मई, १९६४/१४ बैशाख, १८८६ (शक)

Monday, May 4, 1964/Vaisakha 14, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बाड़मेड़ क्षेत्र से पाकिस्तानियों की निकासी

१२९२. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाड़मेड़ सीमा के पार छ: मील लम्बी पट्टी में रहने वाले पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेनायें इस क्षेत्र में आ रही हैं जहां पर अब तक पुलिस के आदमियों का पहरा था तथा पाकिस्तानी सैनिकों ने इस सीमा क्षेत्र में खाइयां खोदना और 'बंकर' बनाना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार को कोई पत्र लिखा है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) (क) जी; नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने यह मालूम करने का प्रयत्न किया है कि समाचार पत्रों में इस आशय के जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उनकी जानकारी कहां से मिली थी ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस समाचार का स्रोत क्या है और यह समाचार किस प्रकार प्रकाशित हुआ ? इस समाचार को प्रकाशित करने के लिये जो लोग उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : हमने भी यह समाचार सुने हैं कि प्राधिकारी लोगों को वापस जाने के लिये प्रेरित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे अधिक कोई जानकारी, वातस्व

में, हमारे पास नहीं है। सम्भवतया समाचार पत्रों में प्रकाशित ये समाचार भी उन अफवाहों पर आधारित हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या हमारी ओर की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिये जो कि स्वच्छंदतापूर्वक उस ओर से इस ओर आ जाते हैं और इस ओर से उस ओर चले जाते हैं परिचय पत्र प्रणाली लागू करने के लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : वहां पर सशस्त्र पुलिस को मजबूत बनाने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। किसी प्रकार की परिचय पत्र प्रणाली को लागू करने के इस प्रश्न पर वास्तव में, विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: माननीय मन्त्री महोदय के लिये उस क्षेत्र का दौरा करना और वहां की समस्याओं को जानना क्यों नहीं सम्भव हो सका है ? इसका क्या कारण है कि सीमा पर विकास कार्य करने के लिये इसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में नहीं रखा गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी क्षेत्र की अवहेलना करने की कोई बात नहीं है। परन्तु स्वभावत: ही उन सीमावर्ती क्षेत्रों को पूर्ववर्तिता दी जाती है जहां लड़ाई की अधिक घटनायें होती हैं अथवा होने की सम्भावना होती है। वास्तव में यही इसका कारण था। परन्तु इस भाग का दौरा करने का मेरा इरादा निश्चय ही है।

श्री कपूर सिंह : काश्मीर की युद्ध-विराम रेखा के अतिरिक्त, हमारी लम्बी सीमाओं के किन किन भागों में हमारी सेनायें हमारे पड़ौसी राष्ट्रों की सेनाओं के ठीक आमने सामने खड़ी हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सारी युद्ध-विराम रेखा पर। यही ऐसी जगह है जहां पर सेनायें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं कि पाकिस्तान सरकार इस मामले में सारी ही सीमा के सम्बन्ध में एक अविचल और पूर्व आयोजित नीति का अनुसरण कर रही है और पूर्वी सीमा पर भी इसी प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सन्देहास्पद देशभक्ति वाले भारतीय नागरिकों को, और परिणामस्वरूप सुरक्षा जोखिम को, सीमा के इस ओर से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का सरकार का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सन्देहास्पद देशभक्ति वाले लोगों पर बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती है। परन्तु लोगों को इस प्रकार से एक स्थान से उठा कर दूसरे पर ले जाने और बसाने का कोई इरादा नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : अभी माननीय मन्त्री ने यह बताया है कि वे इस क्षेत्र विशेष की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। माननीय मन्त्री के इस कथन को सही सिद्ध करने के लिये—क्या मैं जान सकती हूं कि इस क्षेत्र का विकास करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण, मैंने यह कहा तो था कि सीमा चौकियों पर वहां जो सशस्त्र पुलिस है उसे मजबूत किया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Defence Minister stated on a previous occasion that they are trying to ascertain as to whether or not Pakistan is constructing roads in the border areas adjoining Rajasthan. Has any information in this connection been received and if so, what are its details ?

Mr. Speaker : This is a General question and does not relate to main question.

Shri Prakash Vir Shastri : This is adjoining to Barmer.

Mr. Speaker : The question is whether Pakistanis there are being evacuated or not.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १२६३। श्री डी० सी० शर्मा।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न संख्या १३०१ सी इसके साथ ले लिया जाये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वह एक अलग प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय सुविधापूर्वक दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकें तो वह ऐसा कर सकती हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी हां।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इसे अलग से ही लिया जाये क्योंकि इसका तो एक बिल्कुल ही दूसरी बात से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें दो प्रश्न पूछने का अवसर दे दूंगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : परन्तु उससे सारी बात मिल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : दोनों प्रश्नों का साथ ही उत्तर दिया जाये।

भूटान के प्रधान मंत्री की हत्या

\+
१२६३. { **श्री डी० चं० शर्मा :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री का कथित हत्यारा पहले 'आसाम राइफल्स में काम करता था तथा १९६२ में चीनी आक्रमण के बाद वह एक युद्ध बन्दी के रूप में कुछ समय के लिये चीनियों की हिरासत में रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कैसे और कब छोड़ा गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) वर्तमान जानकारी के अनुसार, भूटान के प्रधान मन्त्री का हत्यारा पहले 'आसाम राइफल्स' में काम नहीं करता था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूटान के प्रधान मंत्री की हत्या

*१३०१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि भारत सरकार ने भूटान के प्रधान मन्त्री की हत्या के कारण का पता लगाने के लिए भूटान सरकार को कोई सहायता दी है तो वह क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : भूटान सरकार से इस सम्बंध में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुई अतः भारत सरकार ने भूटान के प्रधान मन्त्री की हत्या के कारण का पता लगाने के लिये भूटान सरकार को कोई सहायता नहीं दी है। तथापि, यह मालूम हुआ है कि, स्पष्टतः, भूटान के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के भाई की प्रार्थना प्राप्त होने पर बंगाल सरकार ने पुलिस के दो कुत्ते हत्यारे का पता लगाने के लिये भेजे थे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह बात सन्देहातीत है कि भूटान के प्रधान मन्त्री की हत्या में चीनियों का कुछ हाथ था और हत्यारे का अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात् उसको चीनियों ने शरण दी थी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि अभी इस मामले की जांच की जा रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या भूटान के प्रधान मन्त्री के हत्यारे के बारे में भारत सरकार के पास कोई पक्का सबूत है ? यदि वह 'आसाम राईफल्स' में नहीं था, तो क्या वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि भारतीय सेना में किसी न किसी रूप में कार्य कर रहा हो ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : भूटान के प्रधान मन्त्री की यह नृशंस और जघन्य हत्या स्पष्टतः ही चीनी हमलावरों के हमारी सीमा पर गड़बड़ी पैदा करने और सैनिक विद्रोह कराने के इरादों का परिणाम है। क्या मन्त्री महोदय ने इस पहलू पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जैसा कि मैंने बताया है, इस मामले की जांच की जा रही है। हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और भी अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। जब जांच पूरी हो जायेगी। तब हम यह जान सकेंगे कि क्या इसमें चीनियों का कोई हाथ था और क्या सिवाय व्यक्तिगत स्वार्थ के इसके पीछे और भी कोई उद्देश्य था।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : भारत सरकार की वर्तमान जानकारी क्या है और उनका अनुमान क्या है और क्या वे इस जांच के परिणाम के लिये अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करते रहेंगे अथवा इस मामले में वे शीघ्र कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह भूटान सरकार का अपना निजी मामला है और हमें तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि भूटान सरकार समस्त मूल्यांकन न कर ले।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह जो जांच चल रही है सरकार उससे अपने को अवगत रख रही है और यदि हां, तो क्या सरकार यह बता सकती है कि हत्यारे का पूर्ववृत्त क्या है और यह कि क्या उसका किसी बाहरी देश के साथ कोई सम्बन्ध था ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : वही प्रश्न बार बार भिन्न भिन्न रूपों में पूछा जा रहा है। हमें तो बस यह मालूम है...

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या सरकार जांच कार्यवाहियों की प्रगति से अपने को अवगत रख रही है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं बता चुकी हूं कि जहां तक इन मामलों का सम्बन्ध है भूटान एक स्वतन्त्र देश है और जांच के समाप्त हो जाने के पश्चात् कदाचित हमारे राजनीतिक अधिकारी को जांच के परिणामों का पता लगा सके।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : एक औचित्य प्रश्न पर। क्या इस हत्या के सम्बन्ध में जो जांच चल रही है उसकी प्रगति से अपने को अवगत रखने में भी सरकार को भूटान की विशेष हैसियत से कोई बाधा पहुंचती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे पूछ लिया है। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दो।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भूटान में जो कुछ हो रहा है उसको जानने से हमें कोई चीज़ नहीं रोकती।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वे जानकारी रख रहे हैं अथवा नहीं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हम इस की जानकारी ले रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न यह उठता है कि भूटान में जो कुछ हो रहा है उस को जानने के लिये क्या हम पूर्णत: भूटान सरकार पर निर्भर हैं अथवा हमारे अपने भी जानकारी के स्रोत व साधन हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, वह कह रही हैं कि वे स्वतन्त्र रूप से जांच नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में भी हम पूर्णत: उसी पर निर्भर करते हैं जो कुछ कि भूटान सरकार करती है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो ऐसा ही कह रही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह सीमा की हलचल का एक महत्वपूर्ण मामला है जिस का हम पर प्रभाव पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित गौहाटी से आने वाले इस आशय के समाचार की ओर गया है कि हत्यारे की जेब में साम्यवादी दल का एक सदस्यता पत्र पाया गया था और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि किस देश के साम्यवादी दल के साथ उस का सम्बन्ध है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उस की जेब में जो कुछ पाया गया था उस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुग्रा : इस में कितने व्यक्ति फंसे हुए हैं और क्या प्रारम्भिक जांच से इस घटना में चीनियों का हाथ होने की बात का पता चलता है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस का उत्तर दिया जा चुका है--हत्या के सम्बन्ध में कई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कितने ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं उन की सख्या नहीं बता सकती ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसी अवस्था पर भारत सरकार को हमारे सामान्य राजनयिक स्रोतों से ऐसी कोई पूर्व जानकारी प्राप्त हुई थी कि भूटान में किसी प्रयासित सैनिक विद्रोह की कोई संभावना है जिस का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच वर्तमान सम्बन्ध की स्थिति को बदलना हो ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं । ऐसी आशका रही है कि क्योंकि भूटान के प्रधान मंत्री मार डाले गये हैं अतः कुछ बात हो सकती है । अन्यथा इस के और कोई लक्षण नहीं थे ।

श्री नाथ पाई : इस बात को देखते हुए कि देश में जो कुछ जानकारी उपलब्ध है उस से ऐसा संकेत मिलता है कि यह घटना भूटान का तख्ता उलट कर उसे एक पड़ौसी देश का पिट्ठु देश बनाने के बड़े भारी षडयंत्र का एक अंग था और इस बात को भी देखते हुए कि भूटान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को जो जानकारी मिली है क्या उस से यह संकेत मिलता है कि यह हत्या भूटान के तख्ते को उलटने के एक बड़े षडयंत्र का एक अग थी अथवा क्या यह व्यक्तिगत दुश्मनी अथवा वंशगत विद्रोह की एक घटना थी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने यह उत्तर दिया है : भूटान सरकार की जांच कार्यवाहियों के पूरा होने तक हमारी सरकार प्रतीक्षा करेगी ।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, वह यह कहती हैं कि वह एक स्वतन्त्र देश है । जहां तक भूटान की सुरक्षा का सम्बन्ध उस का उत्तरदायित्व हमारा है और वह वहां के प्रधान मंत्री की हत्या का इस से सीधा सम्बन्ध है । इसलिये मुझे यह जानने का अधिकार है . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने स्थिति बता दी है ।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, जहां तक इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्वों का सम्बन्ध है, यह बात अकेले मंत्री महोदय पर ही निर्भर नहीं करती; यह आप पर निर्भर करती है . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह मुझ पर भी निर्भर नहीं करती . . . . . **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न यह उठता है कि हमारा जो उत्तरदायित्व है उस के सम्बन्ध में हम क्या कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं । यह एक दूसरी बात है । प्रश्न पूछा गया था और उस का उत्तर मिल गया । अब मैं उस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री उत्तर देने के लिये इच्छुक थे ।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि १३ अप्रैल को, जब कि भूटान के उप-सेनाध्यक्ष और वहां के क्वार्टर मास्टर जनरल की गिरफ्तारी से पहिले भूटान की राजधानी थिम्पू की हालत नाजुक थी,

भारत सरकार ने अपनी सेनाओं को यह आदेश दिये थे कि यदि वहां परस्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिखाई दे तो वे उस मामले में हस्तक्षेप करें और यदि हां, तो क्या थिम्पु में अपनी सेनाओं को हस्तक्षेप करने के लिये कहने का निर्णय भूटान सरकार की प्रार्थना पर लिया गया था अथवा भूटान के प्रधान मंत्री की हत्या से भारत की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे को महसूस कर के यह निर्णय लिया गया था ?

बिना विभाग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य ने सदन को जो जानकारी दी है वह ठीक नहीं है। तथापि, यदि इस सम्बन्ध में हमारे पास निश्चित जानकारी है भी तो भी मैं इस समय उसे सदन को नहीं देना चाहता। दूसरे, भूटान में घटनाओं का जो विकास हो रहा है उसकी हम निकट से जानकारी रख सकते हैं और भूटान सरकार हम से जो भी सहायता देने के लिये कहती है हम प्रसन्नतापूर्वक वह उसे देते हैं। हम निश्चय ही यह अनभव करते हैं कि भूटान की सुरक्षा हमारे लिये सम्पूर्ण भारत के लिये, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय भुटान के राजा का भुटान की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है और मैं नहीं समझता कि हमें किसी प्रकार से भयातुर होना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि भुटान के प्रधान मंत्री की हत्या चीन द्वारा व्यवस्थित तथा प्रोत्साहित की गई एक बड़ी योजना का एक अंग है, जैसा कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया था, और इस को भी देखते हुए कि यह भी मालूम हुआ है कि इस सैनिक विद्रोह में भाग लेने वाले १४ व्यक्ति चीन में शरण पा चुके हैं और क्योंकि इस से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्बन्ध है, क्या मैं यह जान सकता हू कि क्या १९६२ में चीनी आक्रमण के पश्चात् इस पर्वतीय राज्य में होने वाली राजनीतिक हलचलों सम्बन्धी तथ्यों को (१) स्वयं भूटान सरकार द्वारा और (२) वहां के हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा भारत सरकार को बताया गया था ?

श्री लालबहादुर शास्त्री : जहां तक चीनियों के मामले का सम्बन्ध है मैं निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि इस हत्या में चीनियों न क्या भाग लिया था तथापि चीनी लोग संकट में लाभ उठाने के लिये हमेशा ही तैयार रहते हैं मैं नहीं समझता कि भूटान में विशेष रूपसे, राज्य को पलटने का कोई प्रयत्न किया गया था। उस घटना के बारे में निश्चिप रूप से कुछ कहना कठिन है, क्योंकि जैसा कि मेरी सहयोगिनी ने अभी बताया है, इस मामले की अभी जांच की जा रही है और यदि इस सम्बन्ध में हम से कोई सहायता देने के लिये प्रार्थना की जायेगी तो हम प्रसन्नता पूर्वक सहायता देंगे। मैं नहीं समझता कि इस समय स वहां पर राज्य का तख्ता पल`जाने आदि का कोई भय है। जैसा कि मैं ने बताया था, हम ने वहां से सम्पर्क स्थापित कर रखा है और जब भी कभी हम आवश्यक समझेंगे हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न यह था कि क्या उस राज्य में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों सम्बन्धी तथ्य भूटान की सरकार द्वारा अथवा वहां पर हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा भारत सरकार को बताये गये थे।

अध्यक्ष महोदय: जब इतनी लम्बी लम्बी बातें कहीं जाती हैं तो माननीय सदस्य उन का सक्षिप्त उत्तर दिये जाने की आशा किस प्रकार कर सकते हैं ? प्रश्न काल के दौरान इतना समय नहीं होता कि लम्बे लम्बे वक्तव्य दिये जायें और अनुमान लगाये जायें और फिर यह पूछा जाये कि वे अनुमान सत्य हैं अथवा नहीं ?

Shri Bagri : At least this fact must be known as to how many persons have been arrested and how many have been interrogated?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

702 (Ai) LS—2.

श्री हेम बरुग्रा: मैं तो बसयह जानना चाहता था कि क्या उस साम्राज्य में होने वाली राजनीतिक हलचलों को भारत सरकार को बताया गया था। परन्तु मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमें सभी तथ्यों की जानकारी है।

श्री जोकीम ग्राल्वा : क्या यह सच नहीं है कि चीनी ग्राक्रमण के पश्चात् इन तीनों हिमालयी राज्यों में खतरनाक ग्रान्दोलन ग्रौर घटनायें हुई ग्रौर प्रिंस दौरजी उस मैत्री सम्बन्ध में एक राजार्गला के समान थे। क्या हमारी सरकार ने वहां जा कर स्थिति का निरीक्षण किया था ग्रौर सुरक्षा के सम्बन्ध में उन को सावधान किया था? दौरजी की हत्या के पूर्व क्या सरकार ने भूटान में सुरक्षा के लिये कुछ किया था?

ग्रध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह भस पहिले ही जैसी बात कहस जा रहो है।

श्री जोकीम ग्राल्वा : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि चीनी ग्राक्रमण के पश्चात् क्या कोई विशेष सावधानी बरती गई थी। ग्राखिरकार दौरजी इन तीनों हिमालयी राज्यो के ग्रापसी मैत्री सम्बन्ध के एक राजार्गली के समान थे।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : प्रधान मंत्री दौर जी की सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व भुटान सरकार का था। परन्तु यह भी सत्य है कि जब भी कभी वह कलकत्ता ग्राये--वह काफी समय तक कलकत्ता में ठहरा करते थे।--हमने उन की सुरक्षा ग्रौर बचाव का पर्याप्त प्रबन्ध किया।

Shri Bagri : He gives incomplete replies and as such we have to ask more supplementaries.

Mr. Speaker : Order, Order.

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, एक ग्रौचित्य प्रश्न पर मेरे प्रश्न के उत्तर में वदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा था कि इस मामले की जांच हो रही है ग्रौर इसलिये राज्य का तख्ता उलटने सम्बन्धी कार्यवाहियों के विषय में के उत्तर नहीं दिया जासकता। ऐसा उन्होंने पहिले भी कहा था ग्रौर ग्राप ने उन के निवेदन को मान लिया था। परन्तु दो मिनट बाद बिना विभाग के मंत्री ने सदन को यह ग्राश्वासन दिया था कि वहां कोई भी राज्य को उलटने जैसी बात नहीं है। यदि जांच का कार्य पूरा ही नहीं हुग्रा है तो वह इस निष्कर्ष पर किस प्रकार पहुंचे? श्री मान्, हम ग्राप का सरक्षण ग्रौर ग्राश्वासन चाहते हैं कि लगभग दो या तीन मिनट के बीच दिये जाने वाले उत्तरों में कुछ सगति होनी चाहिये। पहिले तो हमें यह बताया गया था कि जांच पूरी नहीं हुई है। वास्तव में ग्राप यह तो कह सकते हैं कि "श्री नाथपाई ग्रनुभव करेंगे कि यह कोई ग्रौचित्य का प्रश्न नहीं है"। परन्तु मैं तो ग्राप से यह निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में ग्राप हमारे ग्रधिकारों का संरक्षण करें।

ग्रध्यक्ष महोदय : इस बात को ग्राप मुझ से ग्रधिक ग्रच्छी तरह जानते हैं!

श्री नाथ पाई : केवल ग्रापही जान सकते हैं, मैं तो यह जानता हूं........

ग्रध्यक्ष महोदय : जब उन को ग्रपनी कमजोरी का पता ही है तो मैं ग्रधिक क्या कर सकता हूं। **(ग्रन्तर्बाधा)**

श्री हेम बरुग्रा : क्या ग्रापके मन की बात को जानने के लिये ग्राप को श्री नाथ पाई को बधाई नहीं देनी चाहिये?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मेरे मन की बात जानने का कोई प्रश्न नहीं है। निश्चय ही मंत्री महोदय ने कहा था कि वहां राज्य का तख्ता उलटने की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, यह कथन सरकार को ज्ञात तथ्यों पर आधारित था।

श्री नाथ पाई : उन्होंने कहा था कि जांच चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात को पसन्द करते हैं कि तब तक कोई जानकारी न दी जाये जब तक कि जांच का कार्य पूरा न हो। यही उन्होंने कहा था। बिना विभाग के मंत्री ने कहा था कि हम को बहुत से तथ्यों के बारे में जानकारी है ; और हम उन से तथा वहां की नवीनतम गतिविधियों से सम्पर्क बनाये हुए हैं, परन्तु सार्वजनिक हित में वह उस को बताना नहीं चाहते।

श्री नाथ पाई : मुझे खेद है कि मैं अपने को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर सका। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वह इस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि वहां का राज्य का तख्ता उलटने की कार्यवाही नहीं हो रही है। यदि मैं उन के कथन को गलत उद्धृत नहीं कर रहा हूं तो यही उस का निष्कर्ष निकलता है।

श्री लालबहादुर शास्त्री: उत्तर असंगत नहीं है। मैं ने कहा था कि साधारणतया वहां पर राज्य का तख्ता उलटने जैसी कार्यवाही नहीं हो रही है। विशेष बातों की जांच की जा रही है। यद्यपि जांच कार्य चल रहा है, फिर भी मैं साधारण रूप से कह सकता हूं कि वहां इस तरह की शासन को पलटने जैसी कार्यवाही नहीं हुई है।

दिल्ली में इजराइली स्वतंत्रता दिवस समारोह

\+
*१२६४. **श्री हरि विष्णु कामत :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इजराइल के वाणिज्य दूतावास को यह निदेश भेजा था या परामर्श दिया था कि वह १५ अप्रैल, १९६४ को नई दिल्ली में इजराइली स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन न करें; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। ७ अप्रैल, १९६४ को सरकार ने इजराइल के वाणिज्य दूत को परामर्श दिया था कि १ अप्रैल को नई दिल्ली में इजराइली राष्ट्रीय दिवस स्वागत समारोह न किया जाये।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

सरकार का निश्चय निम्नलिखित बातों के आधार पर किया गया था :

(१) दिल्ली में इजरायली राष्ट्रीय दिवस स्वागत समारोह मनाने की प्रथा नहीं है क्योंकि यहां वाणिज्यिक दूतावास स्थित नहीं है। दूसरे वाणिज्यिक दूतों की तरह इजरायली वाणिज्यिक

दूत अपने अपने मुख्य कार्यालय स्थानों में अपने देश के राष्ट्रीय दिवस के स्वागत समारोह मनाते रहे हैं ।

(२) नयी दिल्ली में अपने देश का राष्ट्रीय दिवस स्वागत समारोह मना कर इजराइली वाणिज्य दूत, बिना उचित अधिकार के, राजनयिक प्रतिनिधि का काम करने का प्रयत्न करते हुए दिखाई पड़े जब कि उन्हें केवल वाणिज्यिक कार्य ही करना होता है । यह वाणिज्य दूत विषयक संबंधों के बारे में वियना सम्मेलन के अनुच्छेद १७ का उल्लंघन है । इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट बताया गया है कि यदि वाणिज्यिक दूतावास का कोई पदाधिकारी राजनयिक कार्य करना चाहता है तो उसे प्राप्तिकर्ता राज्य की पूर्व अनुमति लेनी चाहिये । वाणिज्यिक दूत के मुख्य कार्यालय स्थान में और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय दिवस मनाना राजनयिक कार्य समझा जाता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि इजराइल का महावाणिज्य दूत संपूर्ण भारत गणराज्य के लिए मान्यता प्राप्त है और क्या माननीय मंत्री का ध्यान अभी दो दिन पहले राजधानी में उपस्थित इजराइली मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वाणिज्य दूत वियना सम्मेलन के अधीन जिसका विवरण में उल्लेख किया गया है और जिसकी गलत व्याख्या की गयी है, अपने वैध अधिकारों के अन्तर्गत थे ? सम्मेलन के अनुच्छेद १७ में कहा गया है कि वाणिज्य दूत के कार्यों में "प्रेषक राज्य तथा प्राप्तिकर्ता राज्य के बीच वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संबंधों को बढ़ाना तथा वर्तमान सम्मेलन के उपबन्धों के अनुसार उनमें मैत्री के संबंधों को अन्यथा बढ़ाना" है । सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रीय दिवस समारोह राजनयिक कार्य है । उसमें सिर्फ यह कहा गया है कि वाणिज्यिक दूतावास के मुख्य कार्यालय स्थान से बाहर राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाने की प्रथा नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि मुख्य कार्यालय स्थान से बाहर लेकिन वाणिज्य दूत के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाना वियना सम्मेलन के अधीन वाणिज्यिक दूत सम्बन्धी कार्य है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या उपमंत्री इस देश में इजराइली वाणिज्य दूत का मान्यता पत्र सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : इस लम्बे विवरण के किस भाग का जवाब मैं दूं ?

श्री हरि विष्णु कामत : यह लम्बा विवरण नहीं है; यह एक प्रश्न है बशर्ते कि समझने के लिए उन्हें अक्ल हो ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ कठिनाई हो सकती है । माननीय सदस्य को नाराज नहीं होना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत: यह इस देश में शेख अब्दुल्ला के स्वागत जैसा नहीं है, वह इतना आसान नहीं है । यह मित्र देश के एक स्वागत समारोह को रद्द करना है ।

अध्यक्ष महोदय: मैं खुद नहीं समझ सका ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने पालम पर शेख अब्दुल्ला का स्वागत किया । वह उतना आसान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह कठिन है और इतना आसान नहीं है तो अनेक माननीय सदस्यों के लिये वह समझना कठिन होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं ऐसा नहीं समझता ।

अध्यक्ष महोदय : इतने लम्बे प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । यदि वह सादा प्रश्न पूछना चाहें तो मैं अनुमति दे सकता हूं । संपूर्ण सम्मेलन पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि [वियना सम्मेलन के अनुसार, उस क्षेत्र में जिसके लिए वाणिज्य दूत को मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय दिवस समारोह करना वाणिज्य दूत का समारोह है और राजनयिक समारोह नहीं है ? यदि नहीं तो क्या मंत्री महोदय इजराइली वाणिज्य दूत का मान्यता-पत्र सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : राष्ट्रीय दिवस समारोह मुख्य कार्यालय स्थान तक ही सीमित रखा जाना चाहिये । इजराइल के वाणिज्य दूत का मुख्य कार्यालय बम्बई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : बिलकुल गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग बात है । यदि वह गलत भी है तब भी उन्हें उत्तर अवश्य सुनना चाहिए । उस पर किसी दूसरे ढंग से आपत्ति की जा सकती है लेकिन जानकारी तो प्राप्त की जानी चाहिये ।

श्री दिनेश सिंह : वह पिछले १४ वर्षों से बम्बई में यह राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाते रहे । अब वह दिल्ली में करना चाहते थे । हम ने उन्हें वैसा न करने की सलाह दी । विवरण में हम ने बताया है कि वाणिज्य दूत के मुख्य कार्यालय स्थान से दूर और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय दिवस समारोह करना राजनयिक समारोह समझा जाता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को मालूम है कि मित्र देश के साथ इस अभद्र व्यवहार से जनता में और समाचारपत्रों में कटुता उत्पन्न हुई है और सरकार को यह काम अरब राज्यों से डर कर किया है और इस सम्बन्ध में कोई तटस्थता नहीं है ? क्या अब भी सरकार अपने इस काम के लिए खेद प्रकट करने के लिए तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस तरह प्रश्न न पूछें कि वह एक मित्र देश को तो निकट लाना चाहते हैं और साथ ही कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे दूसरों को बुरा लगे ।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या मैं आप को बता सकता हूं कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ऐसे भी देश हैं जिनके अरब राज्य और इजराइल दोनों के साथ ही अच्छे सम्बन्ध हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं । वह यह क्यों कहते हैं कि अरब का डर है आदि ?

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वह अरब राज्यों के डर के कारण है ? क्या 'अरब राज्यों के पक्ष में और इजराइल के विपक्ष में प्रेरित होकर' यह कहना ठीक होगा ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह कहुंगा कि कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ । वाणिज्य दूत से यह यथोचित रूप में कहा गया था कि वे यह समारोह न करें । उन्हें अपना समारोह रद्द करने के लिए काफी समय था और कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : किस विशिष्ट सम्मेलन के अधीन सरकार ने यह समझा कि राष्ट्रीय दिवस समारोह राजनयिक समारोह है और किस सम्मेलन के अधीन सरकार का अशोक होटल में उनका व्यक्तिगत स्थान रद्द करना उचित था ?

श्री दिनेश सिंह : पहले भाग का उत्तर यह है कि सामान्य प्रथा के अनुसार सभी राजनयिक दूतावास अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह अपने मुख्य कार्यालय स्थान में करते हैं और दूसरे भाग का उत्तर यह है कि सरकार ने उनका व्यक्तिगत आरक्षण रद्द नहीं कराया ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा पटल पर रखे गये विवरण में 'प्रथा' शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें यह नहीं कहा गया है कि वह कानून के विरुद्ध है । इसलिए वह समारोह यहां करना किस प्रकार निषिद्ध है ?

अध्यक्ष महोदय: श्री कामत यह महसूस करते हैं कि मैंने उन्हें दो प्रश्न पूछने के लिए अनुमति दी । तीसरा प्रश्न दूसरे सदस्य ने पूछा था । उन्हें उत्तर मिल जाने के बाद श्री कामत फिर खड़े हो जाते हैं और कुछ कहते हैं । इस तरह अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : जब विवरण इतना अस्पष्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो मैं उन्हें बता दूंगा ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : किस विशिष्ट सम्मेलन के अनुसार इसे राजनयिक कर्तव्य समझा जाता है यह उन्होंने नहीं बताया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : ऐसी प्रथा है । वह पूरी तरह गलत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह पूरी तरह गलत हो तो उसका दूसरा तरीका हो सकता है । मैं कई बार निर्णय दे चुका हूं कि यदि कोई सदस्य मंत्री के उत्तर को गलत महसूस करते हैं तो वह मुझे लिख कर बता सकते हैं और तब मैं यह मालूम करूंगा कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया । लेकिन अनुपूरक प्रश्नों में यह प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकती ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या आखिरी समय स्थान का आरक्षण रद्द करने से यह दिखायी पड़ा है कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय नहीं है; और यदि हां, तो यह गलती ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह: यह आखिरी समय कैसे है ? हम ने ७ तारीख को वाणिज्य दूत को सलाह दी थी । स्वागत समारोह १५ तारीख को होना था ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Israel was not allowed to celebrate national day function and so it was arranged on lawns and the foreign ambassadors attended it. Has Govt. received any report that it created a bad impression ? Does it not lead one to conclude that it was only to appease the Arab States that such an attitude was adopted ?

Mr. Speaker : Mr. Kamath has also said this and you have heard his question.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि इजराइली वाणिज्य दूत ने वैदेशिक कार्य मंत्रालय की हिदायतों का उल्लंघन किया है; सरकार ने इजराइल की सरकार को अपनी नापसंदगी बताने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : हम ने कोई कदम नहीं उठाये हैं क्योंकि हम ने वाणिज्य दूत को सलाह दी थी कि पार्टी रद्द कर दी जाये और वह पार्टी नहीं हुई। हम ने उसे यह भी सूचित किया था कि यह तरीका गलत है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को देखते हुए कि इजरायली वाणिज्य दूत को सूचित करने और समारोह की तारीख के बीच एक सप्ताह का अन्तर था और अनेक अतिथियों की उपस्थिति में इजरायली वाणिज्य दूत ने एकाएक घोषित किया कि किसी दबाव के कारण उन्होंने यह समारोह रद्द किया है, क्या सरकार अब भी इस मामले की गंभीरता नहीं समझती और इस घटना के सम्बन्ध में अपना विचार बताने के लिये इजरायली सरकार को अभ्यावेदन करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि इजरायली सरकार को इस बारे में मालूम है कि पार्टी नहीं की गयी थी। उसे अपने वाणिज्य दूत की गलती के बारे में मालूम है। मेरी समझ में आगे कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या पार्टी रद्द करने के लिए इजरायली वाणिज्य दूत को कहने का निश्चय अन्तर्राष्ट्रीय नीति तथा सदाचार के उल्लंधन के कारण किया गया था और यदि हां, तो क्या यह स्थिति आन्तरिक मामलों में तटस्थता की और अन्तर्राष्ट्रीय विद्वेष दूर करने की नीति के अनुरूप है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, यह निश्चय मुख्यतः इसी इच्छा से किया गया था कि कोई अस्वस्थ परम्परा कायम न हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह तटस्थता की नीति के अनुरूप है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां।

श्री कपूर सिंह: क्या यह समझने के लिए कि वाणिज्य दूत द्वारा किसी देश की राजधानी में राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया जाना एक राजनयिक समारोह है, कोई ठोस पूर्वदृष्टान्त है ?

श्री दिनेश सिंह : किसी देश में राजदूतों के विशेषाधिकार प्राप्तिकर्ता देश की ओर से दिये जाते हैं। सामान्य प्रथाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त होता है लेकिन उनके होते हुए भी कुछ विशेषाधिकार देना या न देना उस देश पर निर्भर होता है। यहां हम ने बताया है कि जो दूतावास यहां राजधानी में स्थित हैं वे अपने राष्ट्रीय दिवस यहां मनायें और जिनके मुख्य कार्यालय राजधानी से दूर हैं वे अपने समारोह मुख्य कार्यालय स्थानों में मनायें।

श्री कपूर सिंह : मैंने ठोस पूर्वदृष्टान्त पूछा था। वह 'हां' या 'नहीं' क्यों नहीं कहते ? क्या कोई ठोस पूर्वदृष्टांत है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य की बात नहीं समझ पा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कहीं भी पूर्वदृष्टान्त है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे मालूम नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई समारोह नहीं किया है।

श्री हेम बरुआ : औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमन्। हमें मालूम हो गया है कि पूर्व-दृष्टान्त नहीं है। अभी तक उपमंत्री हमें और आपको यह समझाने की कोशिश करते

रहे हैं कि किसी प्रथा अर्थात् किसी पूर्वदृष्टान्त के आधार पर ही यह महत्वपूर्ण निश्चिय किया गया था और हमने यह बताने का प्रयत्न किया कि ऐसा कोई पूर्वदृष्टान्त नहीं है और इजराइल जैसे छोटे देश के संबंध में इस प्रकार का निश्चय करके या नीति निर्धारित करके सरकार एक प्रथा कायम कर रही है । इसलिए गलतबयानी के आधार पर दिया गया उपमंत्री का वक्तव्य सभा की कार्रवाई में निकाल दिया जाना चाहिये क्योंकि उसके लिए कोई आधार नहीं है। यही मेरा औचित्य प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह औचित्य प्रश्न है ? क्या मैं वही प्रश्न माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं ? अधिक से अधिक उन्होंने यह कहा कि इसे सभा की कार्रवाई से निकाल दिया जाये । मैं सदन की अनुमति चाहता था और माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया । अब मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि औचित्य प्रश्न के लिए अनुमति दिये जाने से पहले वे यह बतायें कि किस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है ।

श्री कपूर सिंह : आपने अभी जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उसकी आवश्यकता नहीं है । भविष्य में हम कौन सी नीति अपनायेंगे ?

डा० मा० श्री० अणे : क्या इज़रायल के वाणिज्य दूत और उनकी पत्नी को उस दिन अशोक होटल में अपना कमरा खाली कर देने और किसी दूसरी जगह जाने के लिए कहा गया था ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं किया गया ।

Shri Bagri : On the one hand, Israel was not allowed to celebrate this function and on the other Chinese Premier was not allowed to fly over India. In view of both these facts, does it not appear that Indian culture has lost his position in foreign countries and will the Govt. of India take any decision in future keeping in view this fact?

Mr. Speaker : Government of India will certainly think over.

Shri Bagri : Why a reply is not given? What is the difference?

Mr. Speaker : It Does not require any reply. He has said that they would think over.

श्री अ० प्र० जैन : औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमन् । क्या मंत्री को अधिकार है कि वे एक माननीय सदस्य को संकेत दें ?

अध्यक्ष महोदय : श्री अजित प्रसाद ने जो कहा वह मैं नहीं समझ सका ।

श्री अ० प्र० जैन : श्री त्यागी अपने हाथ से माननीय सदस्य को इशारा कर रहे थे ।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मैं केवल उन्हें बैठने के लिए कह रहा था ।

श्री कपूर सिंह : सरकारी स्थान पर बैठने वाले सदयों पर शिष्टाचार लागू करने के लिए और प्रश्न काल में उनके अच्छे व्यवहार के लिए कुछ किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि पुरानी प्रथाओं को खत्म करना कठिन है । अगला प्रश्न ।

श्री त्यागी : मैंने इशारा तभी किया था जब आपने श्री बागड़ी से बैठ जाने के लिये कहा ।

आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये स्वायत्तता

+

*१२६५. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रिशांग किशिंग : }

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी नेताओं ने आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये वृहत्तर स्वायत्तता के बारे में प्रधान मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके प्रस्ताव की क्रियान्विति का ब्यौरा तैयार करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का विचार है ; और

(ग) आयोग के निर्देश पद क्या होंगे और उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) ये बात विचाराधीन हैं ।

Shri Yashpal Singh : Are Government in a position to state as to why these hill Districts of Assam have been allowed to claim separate autonomy ?

The Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri) : Hill tribes have got their own difficulties and hardships regarding which they have so far been negotiating with the Government and it is reasonable for the Govt. of India and Assam Government to give due consideration to this matter.

Shri Yashpal Singh : Keeping in view the security of the country, would it be advisable for the Government to give so much latitute to a particular State that it could come forward with a proposal for a separate and unique position?

Shri Lal Bahadur Shastri : No State came forward with such a proposal.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether a conference of the leaders of these hill districts was recently held in that area in which they unanimously accepted a resolution to the effect that the assurance given by the Prime Minister that they also have a right to become autonomous like any other country is acceptable to them and have Government of India to any extent decided to provide greater autonomy of any kind to these hill Districts and, if so, the details thereof?

Shri Lal Bahadur Shastri : The hon. Member has used the words "any country". But I may state that it is not a question of any country, it is rather a state and in that too it is a particular part of that State. It could not be assumed that this area would be separated even a little from that State. Now comes the question of what our hon. Prime Minister had stated. As I have already stated, the hon. Prime Minister has assured them to give some privileges for certain facilities regarding the development work in that area and to remove their other difficulties and this is still to be negotiated with them.

Shri Prakash Vir Shastri : That was not my question. I wanted to know the details of autonomous states assured by the hon. Prime Minister. At least something must be stated as to what kind of greater autonomy is to be ranted to them.

Shri Lal Bahadur Shastri : This was not asked by him. But now if he is anxious to know it, I may inform him that this matter has not so far been taken up with the State Government. A commission is to be appointed in this connection and then its terms of reference will be considered.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री महोदय के प्रस्ताव के अनुसार आसाम के मुख्य मंत्री को इन पहाड़ी जिलों के मंत्रियों के निर्णय को उलटने का अधिकार नहीं होगा और आसाम विधान सभा को इन पहाड़ी जिलों के सदस्यों द्वारा बनाई गई प्रादेशिक समिति के निर्णयों को उलटने का अधिकार नहीं होगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं प्रश्न को पूरी तरह से नहीं समझ सका हूं । अनेक प्रश्न उठाये गये हैं । परन्तु, जैसा कि मैंने कहा है, ये सभी प्रश्न एक आयोग को सौंपे जायेंगे जो कि अभी नियुक्त किया जाना है । बातचीत के आधार पर इस आयोग के निर्देश-पद तैयार किये जायेंगे और इस सारे मामले पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरा प्रश्न इससे भिन्न था ।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक बताने लायक कोई बात नहीं हुई है ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : यह सुना गया है कि इन जिलों को वृहत्तर स्वायत्तता देने के मामले में प्रधान मंत्री महोदय इन पहाड़ी जिलों के नेताओं को कुछ रियायतें अथवा निर्देश-पद दे चुके हैं । क्या मैं जान सकती हूं कि क्या ये निर्देश-पद इस आयोग पर लागू होंगे अथवा नहीं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी तक कोई निर्देश-पद नहीं बनाये गये हैं, यही मैंने बताया था । कुछ मामलों पर सामान्य रूप से चर्चा की गई थी । प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिये हम एक प्रकार की स्काटलैंड जैसी व्यवस्था कर सकते हैं । वास्तव में स्काटलैंड का इस मामले में एक प्रतिरूप है तो और सामान्य रूप में इस प्रतिरूप पर भी आयोग द्वारा विचार किया जायेगा । परन्तु अभी तक विशेषरूप से कोई रियायत नहीं दी गई है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या उन्होंने प्रधान मंत्री के प्रस्ताव को बिना शर्तों के स्वीकार किया है अथवा किन्हीं शर्तों पर स्वीकार किया है और यदि किन्हीं शर्तों पर स्वीकार किया है तो वे शर्तें क्या हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक मैं जानता हूं उन्होंने प्रस्ताव को न्यूनाधिक बिना किसी शर्त के स्वीकार किया है, हां वास्तव में इस आशा से किया है कि प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये सामान्य आश्वासन को ध्यान में रखा जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह कहा गया है कि आयोग प्रधान मंत्री के प्रस्ताव की क्रियान्विति के ब्यौरे तैयार करेगा। प्रादेशिक समिति को जो स्वायत्तता दी जायेगी उस क्षेत्र के किन विषयों पर यह आयोग अपना कार्य करेगा? किस ढंग से वे अपने प्रदेश को वित्तपोषित करेंगे? उनकी शिक्षा की भाषा क्या होगी? ये तीन ऐसी बातें हैं जिन पर बहुत अधिक विवाद रहा है। आयोग वास्तव में किन विषयों पर अपना कार्य करेगा?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्या द्वारा उठाई गई कुछ बातों पर आयोग निश्चय ही विचार करेगा। भाषा का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रादेशिक विकास, प्रदेश का आयव्ययक, जनजातियों को उनकी परम्पराओं आदि के सम्बन्ध में दिये जाने वाले कुछ विशेषाधिकार, ये अनेक ऐसे मामले हैं जिन पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। इस समय मैं स्पष्टतया यह नहीं बता सकता कि आयोग के निर्देश-पद क्या होंगे।

मैं यह और भी बता दूं कि यह एक भूल हुई है जो कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये सहमत हो गया। वास्तव में, इस मामले में हमारा सांझा उत्तरदायित्व है। इस मामले के ब्यौरे गृह-कार्य मंत्रालय में तैयार किये जा रहे हैं।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने अपने प्रस्ताव में 'पूर्ण स्वायत्तता' शब्दों का प्रयोग किया था, 'वृहत्तर स्वायत्तता' का नहीं। क्या यह भी सच है कि इस आयोग के निर्देश-पद और गठन चाहे कुछ भी हों, ऐसी आशा की जाती है कि यह आयोग प्रधान मंत्री के प्रस्ताव की मोटी मोटी बातों और उनके द्वारा पहाड़ी नेताओं के दिये गये आश्वासनों के अनुसार ही अपना कार्य करेगा?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसके ब्यौरे बताना मेरे लिये कदाचित उचित नहीं होगा। परन्तु जहां तक मैं जानता हूं, प्रधान मंत्री ने 'पूर्ण स्वायत्तता' शब्दों का प्रयोग नहीं किया था—मेरी बात गलत भी हो सकती है—अपितु केवल 'स्वायत्तता' कहा था, जिसका अर्थ वास्तव में अधिकतम स्वायत्तता होता है।

श्री स्वैल : मेरी राय इससे भिन्न है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ऐसा हो सकता है, इसीलिये मैंने कहा था कि मेरी बात गलत हो सकती है। जो कुछ भी हो, स्वायत्तता कितनी होगी यह बात भी आयोग के प्रतिवेदन पर निर्भर करेगी।

श्री स्वैल : एक औचित्य प्रश्न पर। मैं बिना विभाग के मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में प्रधान मंत्री के साथ हुई हमारी बैठक की कार्यवाही

सम्बन्धी कागजातों को देखें जिनमें कि 'पूर्ण स्वायत्तता' शब्दों का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया है और इस पर हमारी और प्रधान मंत्री के बीच चर्चा भी हुई थी ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : क्या मैं यह कह सकता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री से उन कागजातों को केवल देखने भर के लिये कहा है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं केवल यह बात स्पष्ट करना चाहता था कि माननीय प्रधान मंत्री ने इन शब्दों का उपयोग नहीं किया । ये शब्द श्री स्वैल ने और शायद अन्य सदस्यों ने कहे थे, और विशेषरूप से श्री स्वैल ने प्रधान मंत्री से मिलते समय ये शब्द कहे थे और ऐसा कहा जाता है कि प्रधान मंत्री महोदय ने लगभग वही सब बातें प्रस्ताव के कक्ष में दुहराई थीं जो कि माननीय सदस्य ने उनसे कहीं थीं ।

श्री स्वैल : मैं बिना विभाग के माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह बैठक की कार्यवाही के उस अंश को देखें जहां कि प्रधान मंत्री महोदय के प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है, उनके मंत्रालय ने उनका प्रारूप तयार किया था और फिर प्रधान मंत्री द्वारा मंजूर किये जाने के पश्चात् हमें दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह सुझाव है कि माननीय सदस्य और माननीय मंत्री के बीच एक दूसरी बैठक कर ली जाये ।

श्री बूटा सिंह : क्या स्वायत्तता के सिद्धान्त का शनैः शनैः सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रस्ताव है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वे, अर्थात् सभी सीमावर्ती राज्य, पहिले ही से स्वायत्तता प्राप्त हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जिस पूर्ण स्वायत्तता को पहाड़ी लोगों को देने का वचन दिया गया है उसके ठीक-ठीक अर्थ क्या हैं और उसके साथ-साथ और आवश्यक बातें क्या-क्या हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक मैं जानता हूं, किसी विशष बात का वचन नहीं दिया गया है। एक आम बातचीत की गई है और उसे कार्य रूप देने के लिये विशिष्ट तथा स्पष्ट निर्देश-पद तैयार करने होंगे तथा एक समिति स्थापित करनी होगी ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि पहाड़ी जिलों को जिस स्वायत्तता के दिये जाने का वचन दिया गया है वे उस स्वायत्तता से अधिक होगी जिसका उन्हें संविधान के अधीन अधिकार है और यदि हां, तो इस समय संविधान के अधीन प्राप्त स्वायत्तता से वह स्वायत्तता किस प्रकार तथा किस रूप में वृहत होगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इन प्रस्तावों के अनुसार तो निश्चय ही उन्हें वृहत्तर स्वायत्तता प्राप्त होगी। परन्तु वह किसी भी रूप में संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं होगी ।

"Name Tags' for Army Men

***1296. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the practice of providing 'name tags' for all ranks in the Indian Army is being introduced in some of the training centres and establishments; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D.R. Chavan): (a) and (b). Yes, Sir. 'Name tags' have been provided for all ranks in 4 Training Institutions as an experimental measure. This would enable an officer/soldier undergoing training being addressed by his name by his superior officers and instructors. The Army authorities feel that this would help in developing his individuality, and establishing a closer link between the officers and the soldiers.

Shri Onkar Lal Berwa : What will be the distinction between the name tags of officers and those of soldiers and what action will be taken for inquiring the loss of these name tags?

श्री दा० रा० चव्हाण : सनिक अधिकारियों और सामान्य सैनिकों के बिल्लों में कोई अन्तर नहीं है। कपड़े पर नाम टांक दिया जायेगा। यह दाहिनी ओर पीठ के ऊपरी हिस्से पर लगाया जायेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : What is the main purpose of introducing these 'name tags'? What other purpose it would serve except displaying the name of the individual? Would these name tags prove of any help in obtaining a railway ticket or a passport? What action would be taken against a Pakistani or Chinese soldier who is able to pilfer such a badge and comes here after fixing it on his uniform?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : These are all misapprehensions regarding this matter. They are meant to establish a closer link between the officers and the soldiers. It is felt that if they are addressed by name instead of their members, this would help in developing their individuality.

Shri Onkar Lal Berwa : Presuming that a Pakistani or Chinese soldier manages to get this badge and mixes with our armymen and comes here for spying purposes, then what would be the check for it?

Mr. Speaker : This apprehension must not be there.

Shri Y. S. Chaudhury : Are we to understand that the shoulder badges will be done away with after the introduction of these 'name tags'?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह पीठ की दाईं तरफ ऊपर की ओर लगाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कंधे पर लगाये जाने वाले वर्तमान बिल्ले समाप्त कर दिये जायेंगे अथवा वे भी रहेंगे ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वे रहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं समझ लूं कि नामों के बिल्ले लगाने की यह प्रथा इन सैनिकों के केवल प्रशिक्षणकाल तक ही सीमित रहेगी अथवा यह उनकी सेवा की शर्तों की एक स्थायी बात होगी ? इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में एक जैसे नाम बहुत से होते हैं, उदाहणार्थ राम सिंह नाम के दस व्यक्तिहो सकतेहैं, क्या एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से पृथक पहिचान करने के लिये कोई अन्य पद्धति अपनाई जायेगी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यदि किन्हीं व्यक्तियों के एक जैसे नाम होंगे तो उनको अलग-अलग पहिचान रखने के लिए और कोई उपाय किया जायेगा, उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति का उपनाम अथवा उसके पिता का नाम भी वहां लिखा जा सकता है।

चार संस्थाओं में ये प्रयोग किए जा रहे हैं। यदि वे सफल होते हैं तो सभी जगह यह पद्धति लागू कर दी जायेगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Why has it been considered necessary only now to introduce the practice of providing name tags for all ranks in the Indian Army while it has been in existence for long time? How much time will it take to introduce this practice in the entire Army and how much expenditure is involed thereon ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जैसा कि मैंने बताया था, यह सिफारिश सेना के कमाण्डरों के अक्टूबर, १९६३ में हुए सम्मेलन में की गई थी। सेना कमाण्डरों ने इस आधार पर प्रयोग करना आवश्यक समझा क्योंकि विश्व की समस्त सेनाओं में यह प्रथा प्रचलित है। यदि हम प्रयोगों में सफल हुए तो निश्चय ही हमको इस पर आने वाले व्यय आदि के प्रश्न पर विचार करना होगा।

Shri Yashpal Singh : In which script these 'name tags' will be prepared?

Shri Y. B. Chavan : In Devanagari script.

फिल्म पुरस्कार

+

*१२९७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूपक फिल्मों को सरकारी पुरस्कार देने के लिए सरकार ने क्या विशेष कसौटी या मापदण्ड निर्धारित कर रखा है ;

(ख) १९६३-६४ के पुरस्कारों के लिए कितनी हिन्दी फिल्मों ने प्रतियोगिता में भाग लिया ;

(ग) कितनी फिल्मों को पुरस्कार मिले तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या पुरस्कार जीतने वाली ये सारी फिल्में अपेक्षित माप दंड के अनुसार थीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) सरकारी पुरस्कार देने के लिये रूपक फिल्मों का चयन करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई विशेष कसौटी निर्धारित नहीं कर रखी है। तथापि, नियमों में यह निर्धारित किया हुआ है कि सरकारी पुरस्कारों को देने का उद्देश्य उच्च कलात्मक तथा प्रविधिक स्तर वाली और शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक महत्व की फिल्मों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है ।

(ख) सत्रह (उर्दू और हिन्दुस्तानी भाषा की फिल्मों को मिला कर)।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८४६/६४]**

(घ) सरकारी पुरस्कारों की केन्द्रीय समिति तब तक किसी फिल्म को पुरस्कार दिये जाने के लिए सिफारिश नहीं करती जब तक कि उनकी राय में वह फिल्म पुरस्कार दिये जाने के लिए उपयुक्त स्तर की न हो ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि **शहर और सपना** फिल्म को सर्वोत्तम घोषित करते समय केन्द्रीय चयन समिति के सदस्यों और उसके सभापति के बीच मतभेद था क्योंकि क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा इस फिल्म को सर्वोत्तम पुरस्कार दिये जाने की सिफारिश नहीं की गई थी और उसने इसे छटा स्थान दिया था ? यदि ऐसी बात है तो क्या मैं जान सकता हूं कि बंगाली फिल्म **महानगर** की तुलना में, जिसे कि तृतीय पुरस्कार दिया गया है, उस फिल्म में क्या विशेष बातें प्रदर्शित की गई हैं ?

श्री शाम नाथ : हम यह तो नहीं जानते कि स फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक देने के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों के बीच कोई मतभेद था अथवा नहीं, परन्तु हमको यह ज्ञात है कि पद्धति को अपनाया था और उन अंकों के आधार पर उन्होंने यह निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति स्वर्ण पदक '**शहर और सपना**' नामक फिल्म को दिया जाना चाहिये ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि इस फिल्म का लेखक तथा निर्देशक इस चयन समिति के सदस्यों के पास गये थे और उन्होंने इनको इस बात से सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया था कि इसमें समाजवादी विचारधारा हैं और उनसे यह प्रार्थना की थी कि वे उसे सर्वोत्तम पुरस्कार दें जिससे कि इसे राष्ट्रपति का स्वण पदक मिल जाये ?

श्री शाम नाथ : प्रश्न स्पष्ट नहीं है, परन्तु जहां तक मैं समझता हूं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या सर्वोत्तम फिल्म का चयन करने वाले लोगों पर इस फिल्म के निर्देशक तथा लेखक द्वारा कुछ प्रभाव डाला गया था ?

श्री शाम नाथ : हमारी जानकारी में यह बात नहीं है ।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि निर्णायकों के गठन के बारे में समाचारपत्रों में आलोचनाएं की गई थीं और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि किस आधार पर यह गठन किया गया है और किन योग्यताओं के आधार पर कोई पुरुष अथवा महिला इस समिति का एक सदस्य चुना जा सकता है ?

श्री शाम नाथ : केन्द्रीय समिति बहुत उच्च शक्ति प्राप्त समिति थी उसके अध्यक्ष एक भूतपूर्व मंत्री थे और उसके सदस्यों में एक भूतपूर्व महान्यायवादी, एक भूतपूर्व राज्यपाल, एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, दो संसद्-सदस्य, दो भूतपूर्व संसद्-सदस्य और दो या तीन अन्य व्यक्ति थे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं यह जानना चाहता था कि . . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को यह महसूस करना चाहिये कि यदि हम कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करते हैं तो उनके निर्णय पर हमें विश्वास करना चाहिये । वैसे तो अलग-अलग व्यक्तियों की हमेशा अलग-अलग राय होती हैं ।

श्री बालकृष्णन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ फिल्मों को जो कि केवल मात्र युद्ध प्रयोजनों के लिए तैयार की गई थी, जैसे कि तमिल भाषा की फिल्म **रत्न तिलकम**, सरकारी

पुरस्कार नहीं दिये गये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन फिल्मों को पूर्ववर्तिता देने के प्रश्न पर विचार करेगी जो कि हमारे रक्षा प्रयत्नों का प्रचार करने और देश का विकास करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है ?

श्री शाम नाथ : इस सम्बन्ध में प्रादेशिक समितियां सिफारिश करती हैं और उन सिफारिशों पर केन्द्रीय समिति द्वारा विचार किया जाता है और केन्द्रीय समिति के निर्णय में सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस उच्च शक्ति-प्राप्त समिति में इतने भूतपूर्व पदासीन व्यक्ति ही क्यों हैं—जैसे भतपूर्व राज्यपाल, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, भूतपूर्व संसद्-सदस्य, भूतपूव निदेशक आदि ? इसका क्या कारण है कि येही व्यक्ति इसमें चुने गए है ? क्या उन्हें इस समिति में इसलिए लिया गया है कि व अधिक सुख-साधन सम्पन्न है अथवा इसके अन्य कोई कारण है?

श्री शाम नाथ : इस समिति में १४ व्यक्ति थे और उन में से ५ अथवा ६ देश के जनजीवन में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस समिति में लिए गये थे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : फिल्मों के गम्भीर समालोचकों द्वारा अधिकांशत: एक मत से प्रगट की गई इस राय को देखते हुए कि समिति द्वारा फिल्मों का चयन करते समय कलात्मक गुणों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है, क्या सरकार का विचार जन जीवन में सुविख्यात लोगों की नियुक्ति करने की प्रथा पर पुनर्विचार करने का है, क्योंकि वे लोग ऐसा निर्णय लेने के लिए समर्थ प्रतीत नहीं होते जिससे कि चुनी गई फिल्में सर्व दृष्टिकोणों में खरी उतरती हो, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के मामले में ?

श्री शाम नाथ : यह एक सुझाव है। परन्तु जहां तक इस वर्ष के पुरस्कारों का सम्बन्ध है समिति द्वारा इस सम्बन्ध में सिफारिशें की गई थीं और जो सिफारिशें की गई हैं उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार हमें नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सत्यजीत राय द्वारा तैयार की गई फिल्म **महानगर** को राष्ट्रपति द्वारा इसलिए पुरस्कार नहीं दिया गया था क्योंकि कुछ आंग्ल-भारतीयों ने, जिनमें श्री फ्रैंक एंथनी भी शामिल हैं, उस फिल्म में कहे गये कुछ वाक्यों पर आपत्ति उठाई थी ?

श्री शाम नाथ : जी, नहीं ; यह सच नहीं है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION & ANSWER

Migrants from West Pakistan

S.N.Q. No. 23. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) Whether persons belonging to minority community are migrating to India from the West Pakistan also ;

of 1500 people to Jammu. Even on an enquiry made yesterday I could know that these news reports are wrong. However, my investigations still continue and if any such persons are found to be here the hon. Member would certainly be informed about the same. So far as the migrants are concerned, only 57 persons have come here with regular visas and permits and they can go anywhere in India. This Ministry is not responsible for those persons who come here from West Pakistan after obtaining migration certificates like this.

Shri Prakash Vir Shastri : If the hon. Minister so desires, I can supply to him the names of such persons and their wives as also the information given by them.

Shri Tyagi : If any of my hon. friends gives me some information in that respect, I would certainly get it investigated.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : माननीय मन्त्री ने स्वयं यह बताया है कि "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो समाचार प्रकाशित हुआ था उससे वे अवगत हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समाचार में उल्लिखित व्यक्तियों से मिलने के लिए सरकार ने यदि कोई प्रयत्न किया था तो वह क्या है, और यदि इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था तो वह अब क्यों नहीं किया जाता, और यदि कोई प्रयत्न किया गया था तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री त्यागी : यह जानने का प्रयत्न किया गया था कि वे व्यक्ति कौन हैं परन्तु हम किसी का भी पता नहीं लगा सके। हम कोई भी जानकारी उनसे नहीं ले सके। मैंने निवेदन किया है कि अब भी तहकीकात जारी है और यदि ऐसे कोई व्यक्ति होंगे तो निश्चय ही सदन को इसकी सूचना दी जायेगी। मैं अभी तक स्वयं को नये वातावरण के अनुकूल बनाने में लगा हुआ हूं और मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे प्रति सहयोग की भावना रखें। मेरे प्रयत्नों में विघ्न डालने के बजाय कृपया मुझे सहयोग दें।

अध्यक्ष महोदय : कदाचित सदस्यों को ही अपने को माननीय मन्त्री के अनुकूल बनाना होगा !

श्री नाथ पाई : सदस्यगण तो महान् परम्पराओं का अनुसरण कर ही रहे हैं।

Shri Bade : The hon. Minister has first stated that he has thoroughly inquired into this matter, but he has not told us as to what reply was received from Pakistan High Commissioner and when this enquiry was held ?

Shri Tyagi : No information is available with them regarding migration of these people. I enquired from others newspapers as also from other press representatives there regarding this new item published in some newspapers here and they too have stated that they have no information in that respect.

Shri Bade : Have you also made any enquiries from our High Commissioner in Pakistan ?

Mr. Speaker : Such migrants whom you are referring to do not consult the High Commissioner before coming to India.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Have you made any enquiries even from 1—2 persons out of these 57 . . .

Mr. Speaker : Order, Order. I have just called Shri Braj Raj Singh Kotah.

Shri Braj Raj Singh Kotah : Have you enquired from those 57 persons as to why they do not want to go back to Pakistan and what is the state of miniorities left behind is that country ?

Shri Tyagi : These 57 persons have come here in a normal way after obtaining necessary migration certificate, as tourists etc. come, and they can go anywhere in India after getting themselves registered at our posts and we could not get a chance to make inquiries from them in this respect.

Shri Brij Raj Singh Kotah : Have Government enquired from them as to why they are not willing to go back to Pakistan ?

Shri Tyagi : If they were to go back then it would be said that they have some difficulties. All of them have not come here on a particular date. They reported themselves on different dates and at different check-posts. Had they got any such information they would have diclosed it. We could not locate them at any place.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Out of these 57 persons how many are Harijans and why have they come to India if they are not willing to go back ?

Shri Tyagi : They have come with regular migration certificates. They have not escaped into India.

Shri Jagdev Singh Sidhhanti : Although they have come with due visas, but why at all have they come here ?

Mr. Speaker : The hon. Member should know that people usually come to India on migration certificates for visiting any of their relatives or for joining marriage ceremonies.

श्री मोहसिन : क्या यह सच है कि कुछ समाचार पत्र ऐसी झूठी और बढ़ा चढ़ा कर कही गई अफवाहों को फैलाने में लगे हुए हैं जिससे कि देश के इस भाग में भी कुछ गड़बड़ी पैदा हो और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री त्यागी : मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ समाचार पत्र इस प्रकार के सनसनीखेज समाचारों को फैलाने के कार्य में लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि हमें कुछ कार्यवाही करनी होगी। आखिर कार हमें इस प्रकार की अफवाहों के उड़ाये जाने को रोकना ही चाहिये।

श्री उ० मू० द्विवेदी : श्रीमन्, यह पहला ही अवसर नहीं है। जबकि ऐसी कहानियां गढ़ गढ़ कर सुनाई जा रही हैं कि केवल हरिजन ही ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत में आने के लिये वीसा नहीं दिये जाते और यह कि केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हरिजनों को प्रव्रजन प्रमाणपत्र लेकर भारत आने दिया जाता है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ऐसा है जो कि वापस नहीं जाना चाहता। यह बात १९५२ से लेकर आज तक निरन्तर चल रही है। क्या माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में जांच करेंगे ?

श्री त्यागी : यदि माननीय सदस्य ऐसा एक भी मामला मुझे बतायें तो निश्चय ही मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि विभाजन के समय प्रधान मन्त्री और उनके सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं द्वारा दी गई ये बड़ी बड़ी आशायें, कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बनाये गये इन दो देशों में लोग बड़ी शान्तिपूर्वक बस जायेंगे, अब मिट्टी में मिल गई हैं और यदि हां, तो इन उच्चाशाओं के पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री त्यागी : यह तो एक अनुमान लगाने की बात है। मेरे माननीय मित्र भी यह इस सम्बन्ध में इतना ही जानते हैं जितना कि मैं जानता हूं। मेरे लिये और कुछ कहने की बात नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों में भारतीय दूतावास

*१२९८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में विदेशों में भारतीय दूतावासों के प्रधान अधिकारियों के कितने पद ४ महीने से अधिक रिक्त रहे ; और

(ख) स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) पेकिंग रायो डि-जनेरियो, अदीस अबाब, वियाना और रंगून और ओसलो में राजदूतों के पद।

(ख) रायो-डि जनेरियो, अदीस अबाबा और वियाना में राजदूत नियुक्त किये जा चुके हैं और अब वे काम कर रहे हैं। ओसलो में भी हमारे राजदूत की नियुक्ति की जा चुकी है। वह वहां जून १९६४ में पहुंचने वाला है। रंगून के लिये व्यक्ति चुना जा चुका है और आशा है कि नया राजदूत वहां मई १९६४ के अन्त तक पहुंच जाएगा। पेकिंग में राजदूत की अनुपस्थिति में सरकार ने वहां के भारतीय दूतावास का प्रभारी सम्भालने के लिये एक चार्ज-डी अफेयर्स नियुक्त किया है।

नेफा में प्रशासनिक सुधार

*१२९९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नेफा में प्रशासनिक सुधार करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) आयोग को अपना काम पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (डा० एरिंग) : (क) भारत सरकार ने नेफा की स्थानीय प्रशासन संस्थाओं के विकास की जांच करने के लिये असम के राज्यपाल द्वारा नियुक्त की गई समिति के गठन को अनुमोदन दे दिया है।

(ख) समिति में श्री डी० एरिंग सभा सचिव तथा नेफा से संसद् सदस्य, ब्रिगेडियर श्री बी० एम० सेन, भूतपूर्व कानूनी सलाहकार, नेफा और असम एडवोकेट जनरल नागालैंड, श्री बी० डी० पाण्डे, अतिरिक्त सचिव, वित्त मन्त्रालय और नेफा प्रशासन का एक प्रतिनिधि।

(ग) समिति से आशा की जाती है कि वह अपनी कार्यवाही १९६४ में आरम्भ कर देगी और अपने काम का विस्तारपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् ही कार्य का कार्यक्रम तैयार कर सकेगी।

Pakistani raid on Assam Border

*1300. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Kapur Singh :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of Finance of Assam has admitted in the State Assembly that 17 armed Pakistanis raided the border village Ghaspara on the 30th March and looted a large number of goods; and

(b) if so, the reaction of Government of India in this regard?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi N. Menon): (a) The Minister of Finance, Assam, in a statemen madet in the State Assembly on April 8, 1964 referred to an incident involving a dacoity committed by some Pakistani miscreants in the house of an Indian national in the village of Ghaspara, PS. Dhubri.

(b) A protest in this connection has been lodged by the Deputy Commissioner, Goalpara with the Deputy Commissioner, Rangpur (East Pakistan) and a request made for the return of the looted articles to the owner.

भारतीय और पाकिस्तानी कमांडरों की बैठक

*१३०२. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ अप्रैल, १९६४ को हुई बैठक में भारत और पाकिस्तान के डिवीजनल कमांडरों के बीच युद्ध-विराम रेखा के समीप जम्मू में कब्रिस्तान क्षेत्र में गश्त करने के बारे में एक समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या भारत के असैनिक नागरिकों को कब्रिस्तान क्षेत्र के सामने सरखंडा घास वाले वर्तमान इलाके में काश्त करने की अनुमति दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

१४ अप्रैल, १९६४ को दोनों पक्षों के प्रभागीय कमाण्डरों की बैठक में निम्नलिखित समझौते किये गये :

(क) दोनों ओर से, २५ जनवरी १९६४ को पहली गोली चलने से पहले के मार्गों के अनुसार गश्त शुरू की जाएगी।

(ख) कोई गश्ती टुकडी १७ मार्च १९६४ की प्रभागीय कमांडरों की बैठक के पश्चात् गाढ़े गये दो तम्बुओं के बीच के स्थान पर नहीं जाएगी।

(ग) वर्तमान दोनों तम्बुओं के स्थान, जिनमें वर्तमान स्थायी गश्ती कर्मचारी रहते हैं, पत्थरों के निशान से निशान बन्द किये जायेंगे, जिनके ऊपर सफेद रंग किया जाएगा और जो २१ अप्रैल, १९६४ तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीक्षण के अन्तर्गत बनाये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात्, दोनों तम्बू और पहरे को हटा दिया जाएगा और उपरोक्त गश्ती व्यवस्था की जाएगी।

(घ) हमारे प्रभागीय कमाण्डर ने बताया कि 'सरकंडा' घास का वर्तमान क्षेत्र, जो शमशान भूमि के शेष क्षेत्र के सामने है, साफ कर दिया जाए और उस पर खेती की जाए क्योंकि शमशान भूमि के लगभग ४०० गज़ उत्तर पूर्व में गांव चक जसू पर भारतीय नागरिकों ने पुन: अधिकार कर लिया है।

(ङ) नागरिकों को उस क्षेत्र में आने जाने में पहले के समान किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी।

२. तब से पत्थर के निशान गाड़ दिये गये हैं और तम्बू हटा दिये गये हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक पर्यवेक्षकों के अधीन। २२ अप्रैल, १९६४ से गश्त जारी हो गई है।

(ग) जी हां।

जहाजों का निर्माण

*१३०३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों तथा अन्य सामान्य इंजीनियरिंग उपकरण के निर्माण के लिये गार्डनरीच वर्कशाप्स, कलकत्ता के प्रसार सम्बन्धी प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या जहाज-निर्माण के लिये सरकार ने किसी देश के साथ कोई समझौता किया है; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों के साथ और सरकार की शर्तें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव कम्पनी के विचाराधीन है; सामान्य इंजीनियरिंग सामान बनाने की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Arrest of Indian Survey Officer by Pakistanis

*1304. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian Survey Officer was arrested by East Pakistan Police on the 20th April, 1964;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether it is also a fact that he was deprived of some maps and other papers which he had with him and was beaten by hooligans before he was rescued by the Border police?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Laxmi N. Menon): (a) & (b) On the 17th April, 1964, Shri Dhananjoy Ghorai, an orderly of the West Bengal Survey Party, having valid travel

documents, was assaulted by Pakistani miscreants on Darshana/Gede border, while he was returning from the Darshana Camp.

(c) Pakistani miscreants snatched away Shri Ghorai's torch, some papers and personai money.

पत्रकारिता का प्रशिक्षण

*१३०५. **श्री सुग्रीव हंसदा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पत्रकारिता के प्रशिक्षण के लिये एक संस्था खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूनेस्को जैसे किसी विश्व संगठन का इस संस्था को सहायता देने का विचार है; और

(ग) क्या प्रस्ताव को अन्तिम रुप दे दिया गया है तथा संस्था कहां खोली जायेगी ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण): (क) से (ग). सामूहिक प्रकार अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर जो फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा बनाया दिया गया था और जो इस मंत्रालय की प्रार्थना पर १९६३ के प्रारम्भ में भारत आया, सामूहिक प्रचार के उच्च अध्ययन के लिये एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वित्तीय ब्यौरा, भौतिक आवश्यकताओं आदि संबंधी ब्यौरा तैयार करने के लिये नियुक्ति की गई विभागीय समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और विचाराधीन हैं ।

भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र

२७८४. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र बम्बई ने कैंसर के विश्लेषण के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के प्रयोग और परिणामों का सारांश क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक संक्षिप्त टिप्पण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८४७/६४]

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

२७८५. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना केरल में १९६३–६४ में शिक्षित चिकित्सकों और अर्द्ध चिकित्सक कर्मचारियों के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ सकी,

(ख) यदि हां, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) १९६३–६४ के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है और उस वर्ष में केरल में इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की गई;

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पटटाभिरामन्): (क) १९६३–६४ में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का केरल में १० और केन्द्रों में विस्तार किया गया, और ३२५० और कर्मचारियों को उसमें लाया गया तथा २७००० अधिक परिवारों को चिकित्सा सुविधायें दी गयीं, तथापि विस्तार चिकित्सकों की कमी के कारण योजना के लक्ष्यों तक नहीं हो पाया ।

(ख) चिकित्सकों की उपलब्धि संबंधी स्थिति सुधरी है और राज्य सरकार द्वारा योजना और अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ग) १९६३–६४ में राजस्व खाते में अनुमानित अनुमोदित व्यय ४९,३९,७०० रुपये हैं ।

१९६३–६४ में राजस्व खाते में वास्तविक व्यय ४६,४३९८७ रुपये है । (इस आंकड़े में अन्तिम लेखे बन्द होने पर आवश्यकतानुसार अदल बदल की संभावना है ।

Sittings of Wage Boards in Delhi

2786. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a ban has been imposed on holding the sittings of wage boards in Delhi;

(b) if so, the reasons therefor and the names of the boards to which the order applies; and

(c) whether a copy of the order would be laid on the Table?

The Deputy Minister of the Ministry of Labour & Employment (Shri R. K. Malviya) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

इंगलैंड में भारतीय उच्च आयोग

२७८७. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री डोनाल्ड ग्रम की एक मुलाकात के संक्षिप्त विवरण की ओर आकर्षित किया गया है, जो २७ दिसम्बर, १९६३ के 'भूदान यज्ञ' के पृष्ठ २४ पर प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि खादी तथा ग्रामदान आन्दोलन के सम्बन्ध में इण्डिया हाउस लन्दन से प्राप्त की गई जानकारी इस बात का उत्तर देती है कि उन को इस विषय पर कोई सूचना नहीं है और भारत चीन विवाद के सम्बन्ध में त्रुटि के कारण भारत को क्षत्ति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख) भारत सरकार को श्री ग्रम की मुलाकात के प्रकाशन का पता है, किन्तु उस लेख में जो आरोप लगाये गये हैं, उनमें कोई सार नहीं है । और वे विदित तथ्यों के प्रतिकूल हैं ।

लन्दन में खादी, भूदान और ग्रामदान आन्दोलन के संबंध में बहुत सी पूछताछ के उत्तर दिये गये हैं । इंडिया हाउस लाइब्रेरी में भी बहुतेरा साहित्य है, जिसे दर्शक पढ़ सकते हैं और समय समय पर उस को पढ़ा भी जाता है । जहां तक भारत चीन विवाद का संबंध है, इंगलैंड की सरकार को स्थिति भली-भांति विदित है और भारतीय दृष्टिकोण का पर्याप्त प्रचार किया गया है ।

सेना के खच्चरों के साथ निषिद्ध माल का आयात

२७८८. { **श्री राम सेवक यादव :**
श्री वि० नू० देव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं के लिये विदेश से आने वाले खच्चरों से माल लाने वाले जहाज १९६३–६४ में भी निषिद्ध माल के खेप लाते रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो जो वस्तुयें पकड़ी गयीं हैं, उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) संबंधित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). तस्कर व्यापार कुछ शिकायतों की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है। एक मामले में दिसम्बर १९६३ में, निम्नलिखित वस्तुयें सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जहाज़ों में एक व्यक्ति के पास में पकड़ी गयीं, जिन में सशस्त्र सेनाओं के लिये खच्चरों का माल लाते थे :—

१. ८ ऊनी कम्बल
२. २४ बोतल विशेष ब्रांडी
३. ७२ बोतल बियर
४. ४ मगनेटिक टेप
५. ४ नैकटाई
६. १ पैरासोल
७. क्राकरी के ७ पीस।

उपरोक्त वस्तुओं का स्वामित्व, जिनका मूल्य ५७२ रुपये है, सिद्ध नहीं हो पाया, और ये सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

नौसेना के हेली काप्टर

२७८९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय नौसेना हलीकाप्टर, जो भारतीय नौसेना जहाज विक्रान्त के साथ लगा हुआ था, ४ अप्रैल को एर्नाकुलम मार्ग में फंस गया,

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में; और

(ग) दुर्घटना के कारण क्या क्षति हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) विमान कोचीन के नौसेना अड्डे पर नियमित गश्त पर जा रहा था।

(ग) कोई व्यक्ति नहीं मरा और न ही सिविल सम्पत्ति को कोई हानि हुई। विमान को भारी क्षत्ति पहुंची और विमान की मरम्मत करना वांछनीय नहीं समझा गया।

जम्मू तथा काश्मीर में सीमावर्ती झगड़े

२७६०. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान दोनों ओर, जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र में युद्ध-विराम संधि के बाद से, पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती झगड़ों में, जम्मू तथा काश्मीर में अब तक कितने व्यक्ति मारे गये हैं और कितने घायल हुए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): जम्मू तथा काश्मीर में सीमा/सी० एफ० एल० दुर्घटनाओं में हताहतों के वर्ष १९५९ से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५९ के बाद के हताहतों के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं।

	हताहत			
	भारतीय		पाकिस्तानी	
	मृत	घायल	मृत	घायल
१९५९	४	१२	मालूम नहीं	
१९६०	५	११	३५	५
१९६१	५	१७	३४	२७
१९६२	५	१०	६	१०
१९६३	६	१७	१३	१८
१९६४ (२५ अप्रैल तक)	२५	१५	६०	१६

असम में सैनिक स्कूल

२७६१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री लीलाधर कटकी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में स्थापित होने वाला प्रस्तावित सैनिक स्कूल स्थापित हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने विद्यार्थी दाखिल किये गये हैं ;

(ग) क्या नेफा, नागालैंड और मनीपुर तथा त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों के लिये कोई स्थान आरक्षित किये गये हैं ; और

(घ) स्कूल में शिक्षा का माध्यम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जुलाई, १९६४ के मध्य में स्कूल खोलने का विचार है ।

(ख) ८०-१०० लड़कों के साथ स्कूल खोलने का विचार है ।

(ग) किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिये स्थानों का कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं होगा। परन्तु प्रश्न में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी बच्चों को, जिन को प्रवेश के लिये चुना जाएगा और जो इसी स्कूल के लिये प्राथमिकता व्यक्त करेंगे, प्रविष्ट कर लिया जाएगा।

(घ) असम के सैनिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी, जैसा कि अन्य सैनिक स्कूलों में है और हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी।

विशाखापटनम पत्तन

२७६२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन के विचमैन और सिगनलमैन ने हाल ही में हड़ताल कर के वहां का काम ठप्प कर दिया ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां।

(ख) हड़ताल का तत्कालिक कारण प्रति क्रेन हुक के लिये एक विंचमैन तथा प्रत्येक छः या कम विचमैनों के लिये एक रिलीवर एक जहाज में जहां क्रेन लगी हुई हो, लगाने का फैसला किया गया था जब कि पहले प्रति क्रेन हुक दो विंचमैन लगाये जाते थे। तथापि कर्मचारियों ने कुछ और मांगें भी कीं, जो संलग्न विवरण में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या २८४८/६४]**

(ग) केन्द्रीम औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा हस्तक्षेप करने पर एक समझौता हो गया और १६-४-६४ से पत्तन का काम पुनः आरम्भ कर दिया गया। समझौते के अनुसार, संलग्न विवरण में दी गई मांगों पर गोदी श्रमिक बोर्ड की विशेष बैठक में विचार किया जाएगा।

परियोजना 'फोनिक्स'

२७६३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे में अणु शक्ति प्रतिष्ठान ने अपनी परियोजना 'फोनिक्स" ट्राम्बे के तीन आणविक रिएक्टरों से प्राप्त बेकार ईंधन से प्लुटोनियम निकालने का संयंत्र लगाने की परियोजना पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या २८४६/६४]

उद्योगों में प्रशिक्षुओं और अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण

२७९४. **श्री राम हरख यादव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों में प्रशिक्षुओं और अध्यापकों के लिये नवीन ढंग का प्रशिक्षण जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) पुनर्गठन के कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद् और व्यवसायिक कामों संबंधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद् के विचाराधीन है और वे अभी तक सरकार के समक्ष विचारार्थ नहीं आये।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Coal Mines Provident Fund, Dhanbad

2795. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there have been cases of serious financial irregularities in the Organisation of the Coal Mines Provident Fund, Dhanbad; and

(b) if so, the steps taken to set things right ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour & Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) and (b): An enquiry into some suspected irregularities is being made.

पाकिस्तान को विरोध पत्र

२७९६. **श्री रा० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 'शेख अब्दुल्ला को मारने का षड्यंत्र' के सम्बन्ध में कराची के समाचारपत्र 'डॉन' में एक दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट के प्रकाशन के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार का कोई उत्तर आ गया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां। पाकिस्तान स्थित हमारे उच्च आयुक्त ने १४ अप्रैल, १९६४ को 'शेख अब्दुल्ला की हत्या करने का षड्यंत्र' शीर्षक के अन्तर्गत करांची के 'डॉन' समाचारपत्र में समाचार के प्रकाशित होने के बारे में पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजा है।

(ख) जी नहीं।

Shaktiman Trucks

2797. Shrimati Johraben Chavda : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some Shaktiman trucks since the commencement of their production on being tested have been found defective and were also involved in some accidents; and

(b) if so, the nature of defects they suffered from and the causes of accidents?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghu Ramaiah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Gun Carriage Factory, Jabbalpur

2798. Shrimati Johraben Chavda : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some rifles or guns were manufactured in Gun Carriage Factory, Jabbalpur during the last few years without prior sanction;

(b) whether they were sold much below their cost price; and

(c) if so, the number of such rifles or guns and the parties to whom they were sold?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghu Ramaiah) : (a) No, Sir. Rifles or guns are not manufactured at the Gun Carriage Factory, Jabbalpur.

(b) & (c). Do not arise.

मध्य-पूर्व के देशों में पूर्वी पाकिस्तान की हिन्दू लड़कियां

२७९९. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मध्य पूर्व के हरमों के लिये 'पूर्वी पाकिस्तान की हिन्दू लड़कियां' शीर्षक के अन्तर्गत १९ अप्रैल, १९६४ के अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) क्या उक्त डा० अरुण गांगुली से संबंध स्थापित करके कोई जांच इस मामले में की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग). जी हां। डा० अरुण गांगूली से २१ अप्रैल, १९६४ को बात चीत की गई और उन्होंने बताया कि उन की १९६२ की ग्रीष्म ऋतु में दमिश्क में आरोपित अपहृत लड़की से भेंट हुई और अब वह लड़की वेश्यावृत्ति का जीवन बिता रही है। अतः सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि आया डा० गांगूली को दी गई सूचना सही है। यह घटना पूर्वी पाकिस्तान में हुए हाल के दंगों से बहुत पहले की है, अतः इसका इन दंगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं माना जा सकता।

सरकार को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम एशिया में अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की नियमित रूप से अपहरण किया जाता है।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

२८००. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने मंत्रालय पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं;

(ख) प्रत्येक मंत्रालय कितनी पत्रिकाएं प्रकाशित करता है;

(ग) प्रत्येक मंत्रालय इस काम पर कितनी राशि खर्च करता है; और

(घ) इन पत्रिकाओं पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) से (घ). सूचना विभिन्न मंत्रालयों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ईस्ट पाकिस्तानी राइफल्स द्वारा अवैध प्रवेश

२८०१. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्ट पाकिस्तानी राइफलमैनों की सहायता के साथ पाकिस्तानियों का एक दस्ता १९ अप्रैल, १९६४ को भारतीय सीमा के गांव पागलीथार में अवैध प्रवेश कर आया और उसने धावा किया;

(ख) यदि हां, तो धावा मारने वालों द्वारा कितनी क्षति पहुंचाई गई; और

(ग) इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १८ अप्रैल, १९६४ को, लगभग १५/१६ पाकिस्तानी राष्ट्रजन, बन्दूकों तथा अन्य घातक हथियारों के साथ भारतीय सीमा के गांव पागलीगुरी, थाना सीतलकूची, जिला कूच विहार (पश्चिम बंगाल) में अवैध रूप से घुस आये और उन्होंने भारतीय राष्ट्रजन के मकान पर धावा मारा।

(ख) पाकिस्तानी उपद्रवी लगभग ४०० रुपये के मूल्य की नकदी, आभूषण आदि लेकर भाग गये।

(ग) उप आयुक्त कूच बिहार ने, रंगपुर (पूर्वी पाकिस्तान) के उपायक्त को पाकिस्तानी उपद्रवियों की आपराधिक कारवाइयों के विरुद्ध विरोध पत्र भेजा है। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य स्तर पर इस मामले की आगे पैरवी कर रही है।

आर्मी आर्डिनेंस कोर

२८०२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्मी आडनेन्स कोर के अतिरिक्त अस्थायी असैनिक कर्मचारियों की १ अगस्त, १९४९ से पहले की पूरी सेवा को, उनकी सेवा का उस कोर के अस्थायी असैनिक कर्मचारियों की सेवा के साथ विलय करने में, ध्यान में नहीं रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दोनों श्रेणियों के विलय से उनके कार्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो क्या ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अतिरिक्त अस्थायी संस्थान में १ अगस्त, १९४९ से पूर्व की आधी सेवा को वरिष्ठता आदि के लिये ध्यान में रखा गया है।

(ख) और (ग). १-८-१९४९ से पूर्व ये व्यक्ति माहवार और वर्ष-वार नियुक्त किये गये थे और किसी नियमित रूप से नहीं। सामान्यतः इन व्यक्तियों को दैनिक वेतन मिलता था जो कि इसी श्रेणी के नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से अधिक होता था। वे स्थानीय आधार पर नियुक्त किये गये और उन्हें किसी अन्य प्रतिरक्षा संस्थान में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता था। मूलतः नियमित नियुक्ति आदि में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये १-८-१९४९ से पूर्व की अतिरिक्त अस्थायी सेवा का कुछ भाग भी ध्यान में नहीं रखा गया था। इस सेवा को किसी भी प्रकार नियमित नियुक्ति की सेवा के समान नहीं समझा गया। भेद सेवा की शर्तों में भिन्नता के कारण है और कार्य के स्वरूप के कारण नहीं।

रोजगार लक्ष्य

२८०४. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि के अन्त तक रोजगार-लक्ष्य के क्या आंकड़े हैं;

(ख) क्या रोजगार पिछड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके कारणों की जांच कर ली गयी है और यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) तीसरी योजना का रोजगार-लक्ष्य १४० लाख काम हैं (गैर-कृषि व्यवसाय में १०५ लाख और कृषि में ३५ लाख)।

(ख) और (ग). जी, हां। जैसा कि तृतीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन में बताया गया है, रोजगार अवसरों के कम होने के कुछ कारण ये हैं (१) कृषि में कमी (२) बड़ी योजना परियोजनाओं की अवधि मूल योजना में अपेक्षित अवधि से बढ़ाना (३) सामान की कम उपलब्धता और (४) योजना की धीमी क्रियान्विति।

रेल गाड़ी से गोला-बारूद की चोरी

२८०५. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ अप्रैल, १९६४ को सैनिक अधिकारियों द्वारा देवगढ़ से सिलीगुड़ी को भेजे गये गोला बारूद ले जाने वाली एक पार्सल गाड़ी में चोरी हो गयी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या अपराधियों का कोई सुराग मिला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) ६ अप्रैल, १९६४ को सैनिक अधिकारियों द्वारा भेजे गये गोला-बारूद की कोई चोरी नहीं हुई।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बस्तर जिले में रेडियो स्टेशन

२८०६. **श्री वाडीवा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में दंडक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की एक योजना है; और

(ख) क्या इस स्टेशन को उड़ीसा में कोरापुर जिले में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

युद्ध-क्षेत्रों में जवान

२८०७. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फील्ड क्षेत्र से लौटने के बाद युद्ध-क्षेत्र में जवान अथवा अफसर को भेजे जाने से पूर्व वह अपने परिवार के साथ कितने समय तक रह सकता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): सामान्य नीति यह है कि सैनिक कर्मचारी को, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से हों या समूचे यूनिट के तौर पर, बारी-बारी से तीन वर्ष युद्ध-क्षेत्र में रहना

होता है और तीन वर्ष शांति परिवार केन्द्र में। तथापि, इस नीति पर युद्ध कारणों से दृढ़ नहीं रहा जा सका है और फील्ड क्षेत्र से लौटने के बाद और उसको फिर फ़ील्ड क्षेत्र में भेजने से पूर्व वह शांति/परिवार केन्द्र में औसतन लगभग दो वर्ष तक रहता है।

सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां

२८०८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे संघ राज्य-क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक सौ छात्रवृत्तियां रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियां देने की क्या कसौटी है;

(ग) अब तक दी गयी छात्रवृत्तियों की राज्य-क्षेत्रवार संख्या क्या है; और

(घ) इन छात्रवृत्तियों को संघ राज्य-क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिये किस हद तक पर्याप्त समझा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) गृह-कार्य मंत्रालय ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के परामर्श से वर्ष १९६४ से सैनिक स्कूलों में संघ राज्य-क्षेत्रों के लड़कों की शिक्षा के लिये १५० छात्रवृत्तियां रखी हैं।

(ख) संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये रखी गयी केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां उन लड़कों को योग्यता-एवं-साधन आधार पर दी जाती हैं जो सैनिक स्कूलों के गवर्नर बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारत प्रवेश परीक्षा में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिये पास होते हैं। केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्ति योजना निम्न प्रकार है :

आय	छात्रवृत्ति की दर	छात्रवृत्ति की राशि और कपड़ा भत्ता
०–५०० रुपये प्रतिमास	पूरी छात्रवृत्ति और कपड़ा भत्ता	१६०० रुपये प्रति वर्ष और २०० रुपये कपड़ा भत्ते के पहले वर्ष में और बाद के वर्षों में १५० रुपये।
५०१–७५० रुपये प्रति-मास	३/४ छात्रवृत्ति और कपड़ा भत्ता	१४०० रुपये प्रति वर्ष और २०० रुपये कपड़ा भत्ते के पहले वर्ष में और बाद के वर्षों में १५० रुपये।
७५१–१००० रुपये प्रति-मास	आधी छात्रवृत्ति . .	९५० रुपये प्रति वर्ष।
१००१–१२०० रुपये प्रति-मास	चौथाई छात्रवृत्ति .	४७५ रुपये प्रतिमास।

(ग) जिन संघ राज्य-क्षेत्रों में गृह-कार्य मंत्रालय छात्रवृत्ति योजना लागू है, उनमें से ३२ लड़के छांटे गये हैं। उनका विभाजन निम्न प्रकार है :

दिल्ली .	२३
हिमाचल प्रदेश . .	२
अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	३
मनीपुर .	२
पांडिचेरी	२
कुल	३२

३० लड़कों के नाम गृह-कार्य मंत्रालय को बता दिये गये हैं और दो लड़कों के नाम वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को ताकि इन लड़कों को केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियां दी जा सकें।

(घ) विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों से प्रवेश के लिये छांटे गये और जिन्होंने साधन परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति के लिये परीक्षा पास की है, उनको छात्रवृत्ति देने में कोई कठिनाई नहीं है।

उड़ीसा में श्रम कल्याण उपाय

२८०९. **श्री मोहन नायक** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६४-६५ में उड़ीसा में श्रम कल्याण उपायों को क्रियान्वित करने के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ख) जिन विभिन्न उपायों के लिये धन आवंटित किया गया है, उनका क्या स्वरूप है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पटटाभिरामन) : यदि केन्द्रीय निधि से आवंटन के बारे में जानकारी चाहिये, तो ब्योरा निम्न प्रकार है :

(क) कोयला खान श्रम कल्याण निधि से ८,४१,०५० रुपये और लौह-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि से ३,५०,००० रुपये।

(ख) चिकित्सा सुविधाएं, प्रौढ़ शिक्षा, सामुदायिक केन्द्र, आवास आदि।

Television sets in Delhi

2810. **Shrimati Johraben Chavda :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of television sets at present in Delhi; and

(b) the number of those placed at public places and of those in bungalows ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) and (b). In all 588 Television sets have so far been distributed in Delhi. They are as follows :—

(*i*) Schools and Teleclubs	473
(*ii*) Other Institutions	7
(*iii*) High Dignitaries and Senior Officers . . .	22
(*iv*) Private (commercial and domestic licence holders)	86
	588

Displaced Muslim Families of Ladakh

2811. Shri Prakash Vir Shastri : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether some displaced Muslim families of Ladakhi or of Tibetan origin have recently come from Tibet and have been settled in certain parts of Sikkim and India; and

(b) whether Government have tried to find out the correct position from them and if so, the conclusions reached therefrom?

The Prime Minister & Minister of External Aflairs and Minister of Atomic Emergy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) One family of Ladakhi Muslim origin consisting of nine members (mother and eight children)arrived at Nathula from Lhasa on 3rd April, 1964. The question of resettlement of the famiiy is under consideration.

(b) The background to the family's arrival in India is under investigation.

बर्मा के विमान द्वारा वायु सीमा का कथित अतिक्रमण

२८१२. श्री रिशांग किशिंग : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा की वायु सेना के एक लड़ाकु विमान और एक हेलीकाप्टर ने २५ मार्च, १९६४ को मनीपुर के तेंगनुपाल सब-डिवीज़न में बोंगमाल घाटी के ऊपर उड़ान की;

(ख) क्या उसी दिन और उसी समय ३४० कुलियों के साथ लगभग ७०० नागाओं ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया ; और

(ग) क्या भारतीय सीमा के अतिक्रमण के बारे में बर्मा सरकार से कोई विरोध प्रकट किया गया है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा के लिए 'इलैक्ट्रॉनिक' उपकरण

२८१३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एम० सी० कम्पनी लिमिटेड, जैसोर रोड, डमडम में सामरिक इलैक्ट्रोनिक और अन्य उपकरण प्रतिरक्षा उत्पादन के लिये इस्तेमाल करने की संभावनाओं का परीक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) क्या प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग इस कारखाने को प्रतिरक्षा उद्योगों के लिये इस्तेमाल करने के बारे में विचार कर रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). प्रतिरक्षा उपकरणों के बारे में सामान्य नीति सरकारी कारखानों को असैनिक व्यापार से पुर्जे आदि लेकर उपकरणों के उत्पादन में यथा-संभव सहायता करना है ।

नीति के उपबंधों के भीतर और ई० एम० सी० कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में उपलब्ध सुविधाओं के सर्वेक्षण के बाद इस फर्म को गोलाबारूद की कुछ वस्तुओं के पुर्जे संभरण करने के लिये कुछ आर्डर दिये गये हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पुंछ के बिजली घर में हुआ बम विस्फोट

अध्यक्ष महोदय : श्री हाथी इस विषय में अग्रेतर वक्तव्य देंगे और उस के पश्चात् प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मेनधार में, जो युद्धविराम रेखा से लगभग ३ १।२ मील दूर है, थाने के बाहर २६ अप्रैल, १९६४ को सवेरे लगभग ५ बजे एक विस्फोट हुआ । थाने के बाहर चहारदीवारी पर दो बम रखे हुए थे, परन्तु उनमें से केवल एक ही फटा । एक बिना फटा बम, जिसमें एक पौंड प्लास्टिक विस्फोटक, ९ इंच लम्बी सेफ्टी फ्यूज़, एक टाईम पेंसिल तथा एक डिटोनेटर था, उस स्थान के समीप ही मिले, तथा सैनिक विशेषज्ञ उसकी जांच कर रहे हैं । इस पर ऐसा कोई चिह्न नहीं था, जिससे यह पता लगे, कि यह मूलतः कहां का है । कोई जीवन हानि नहीं हुई, परन्तु थाने की छः खिड़कियों के शीशों को क्षति पहुंची । पांच व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है ।

२. एक अन्य विस्फोट ३० अप्रैल, १९६४ को लगभग ८ बजे पुंछ में पावर हाऊस के समीप हुआ । पावर हाऊस में पानी पहुचाने के लिये लगी पाईपों के नीचे पावर हाऊस से लगभग १०५ गज दूरी पर विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था । छः फुट लम्बी पानी की तीन पाइपों को क्षति पहुंची । उस स्थान के निरीक्षण के लिये सैनिक विशेषज्ञ बुलाये गये । पानी के तेज बहाव के कारण अवशेष बह गये, और निरीक्षण के लिये कोई पदार्थ नहीं मिल सका । पाईप बदले गये तथा बिजली की सप्लाई लगभग आठ

घंटे बाद उसी दिन दुबारा चालू की गई । मामले की जांच की जा रही है, तथा कुछ व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है । पावर हाऊस पर पुलिस गार्ड लगी हुई है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस प्रकार की घटनायें उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । पाकिस्तानी जासूसों की इन ध्वंसात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार ने सुरक्षा प्रबन्धकों के सुधारने के प्रयोजनार्थ क्या विशेष कदम उठाये हैं ।

श्री हाथी : जिन लोगों पर सन्देह होता है उन की निगरानी की जाती है । सुरक्षा सेना गश्त करती है और महत्वपूर्ण स्थानों पर पहरा लगाया जाता है ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Why were some special arrangements not made there in order to check Pakistanis from cutting the Betar Drain ?

Shri Hathi : It is not concerned with getting water by cutting the Drain.

Shri Bade (Khargon) : Was it a sabotage by the Pakistani Spies ?

Shri Hathi : Police is investigating the matter and some elven persons in all are being interrogated.

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य की सरकार को कहा है कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये असाधारण शक्तियों का प्रयोग करें ?

श्री हाथी : विधि तथा व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार का दायित्व है । हमें आशा है कि वह सभी आवश्यक कार्यवाहियां करेंगे ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इन निरन्तर घटनाओं से सिद्ध होता है कि जासूसों का गिरोह संगठित रूप से काम कर रहा है । दूसरी बात यह स्पष्ट है कि ऐसे एजेंट देश के राष्ट्रजन हैं । इसलिये इन जासूसों को खत्म करने के लिये क्या किया गया है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने बताया सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं । जासूसों को पकड़ने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : जासूसी गिरोह से सम्बन्ध रखने वाले कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं और जीवनोपयोगी वस्तुओं सम्बन्धी स्थानों की रक्षा करने के लिये क्या कोई ब्लु प्रिंट तैयार किया गया है ?

श्री हाथी : लगभग २४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और कुछ अन्य पर नजर रखी जा रही है ।

---

(२) दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के किराये में वृद्धि का विरोध करने वाली जनता और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे

में एक वक्तव्य दें —

"३ मई, १९६४ को दिल्ली की कुछ बस्तियों में दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के किराये में वृद्धि का विरोध करने वाली जनता और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ जिसके फलस्वरूप पचास व्यक्तियों को गहरी चोटें आईं।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : ३ मई, १९६४ को तिलक नगर के निकट भारतीय जन संघ ने दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के किराये में वृद्धि का विरोध किया। उन का बसों के आगे धरना देने और उन्हें रोकने का कार्यक्रम था। ५०० के करीब अनियमित भीड़ ने दो खाली बसों के शीशे तोड़ दिये। तीतारपुर पहुंचते, पहुंचते उन की संख्या ३००० हो गयी और वहां उन्होंने ८ बसों और एक पुलिस की वैन पर हमला कर दिया। पुलिस को रोकने पर उन पर पत्थर फेंके गये जिस के कारण २५ पुलिस कर्मचारी घायल हो गये। अतिरिक्त जिला दण्डाधीश ने उस भीड़ को गैर-कानूनी घोषित किया। चूंकि इस के बावजूद भी वह तितर-बितर नहीं हुए तो उन पर आंसू निकालने वाली गैस फेंकी गयी। उन्होंने एक वैन को आग लगाने का प्रयत्न किया परन्तु वह विफल हुए और पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया।

१.३० बजे म० प० फिर २०० व्यक्ति तिलक नगर बस स्टाप पर एकत्र हो गये। उन्होंने परिवहन उपक्रम की दो कैबिनों को तोड़ दिया और उन के दरवाजों को आग लगा दी। कई वस्तुएं लूट ली गयीं जिन में एक पंखा और टेलीफोन का सामान भी शामिल था। लगभग ५० व्यक्तियों को इन आरोपों पर गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री कपूर सिंह : क्या कलकत्ता में प्रयोग में लायी जाने वाली प्रणाली के अतिरिक्त भी कोई तरीका है जिस से कि प्राधिकारियों को दबाया जा सके कि वह जनता से अच्छा व्यवहार करें?

श्री हाथी : यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा तरीका अपनाया गया। उन्हें वैसा नहीं करना चाहिये था।

Shri Yashpal Singh : It is a fact that the said agitation was done by certain undesirable elements, and all the workers of Jan Sangh, have been arrested, even though they were not present there.

Shri Hathi : The programme was definitely prepared by Jan Sangh and their workers were present there.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : क्या यह सच है कि प्रदर्शन करते समय शाखाओं के सभी युवक और बालक जन संघ ने बुलाये थे?

श्री हाथी : मुझे विशेष तौर पर इस सिलसिले में जानकारी नहीं है। परन्तु यह विरोध उन्हीं की ओर से संगठित किया गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस विशेष प्रदर्शन के अतिरिक्त, बसों के किराये इस में अत्यधिक वृद्धि करने पर सभी लोगों में असन्तोष पाया जाता है, और क्या शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस के अत्याचार के बारे में कोई न्यायिक जांच कराई जायेगी?

श्री हाथी : किराये बढ़ाने का निर्णय एक निर्वाचित निकाय द्वारा लिया गया और उस पर पुनर्विचार भी किया गया था। यदि उस पर इस तरह से प्रदर्शन किये जाते हैं तो पुलिस को कड़ी कार्यवाही करनी ही पड़ती है।

Shri Bade : It is a fact that Mr. Malhotra and 20 other persons were injured there, and only after that the mob got out of control ?

Shri Hathi : No, Sir.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I want to know the number of persons injured, and also the injuries sustained by them were minor or serious ones ?

Shri Hathi : 25 policemen were injured. I don't know about others. **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Ram Sewak Yadav : This reply is incomplete.

Shri Onkar Lal Berwa: This is an evasive reply. **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Kachhavaiya : I was myself present there. The hon. Minister should give right information.

Mr. Speaker: In that case the hon. Member can give me in writing that what the hon. Minister says is wrong.

Shri Onkar Lal Berwa: They refuse to give information. **(अन्तर्बाधायें)**

Mr. Speaker: I will have to stop the proceedings if the hon Members refuse to listen.

Shri Bagri (Hissar) : Even if it is accepted that the agitaionists had became violent, the Government failed to bring them under control by peaceful means, and thus it failed to maintain law and order. And keeping in view the discontentment among the people over the increased bus fares, will the Government advise the Corporation to reconsider the matter ?

Mr. Speaker: This is suggestion for action.

Shri Bagri : I have to ask whether the Government is considering. . .

Mr. Speaker: The Government is not considering. Now that you have given a suggestion, it will consider. you kindly resume your seat.

Shri Bagri : *   *   *

अध्यक्ष महोदय : इन शब्दों को सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायगा।

Shri Bagri : *   *   *

श्री हो० ना० मुकर्जी : चूंकि दिल्ली क्षेत्र में कोई विधान मण्डल नहीं है और इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है और निरन्तर बस के किराये बढ़ाये जाने पर कुछ गम्भीर एवं दुखद घटनायें हुई हैं, तो विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने और लोगों की उचित शिकायत को दूर करने की दृष्टि से क्या सरकार कोई उपयुक्त कार्यवाही करेगी ?

---

*कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

श्री हाथी : बस के किरायों का निर्माण करने के लिये एक निश्चित व्यवस्था है। पहले निगम निर्णय लेता है, फिर परिवहन उपक्रम उस पर विचार करके अपना फैसला देता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सरकार पर्याप्त महंगाई भत्ता भी नहीं देती और मूल्य भी बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति से क्या केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं कि इस समस्या के हल करने के लिये प्रदर्शन करना ही उचित उपाय नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक औचित्य का प्रश्न है। इस मामले में अन्तिम उत्तर-दायित्व किस का है ?

अध्यक्ष महोदय : बसों के किरायों के बारे में दिल्ली प्रशासन स्वतन्त्र है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने स्थिति का निरीक्षण करने और बसों के किरायों को कम करने के सिलसिले में इरादा किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह आपने सुझाव दिया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं संबंधी विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : मैं विभिन्न सत्रों में जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ . . सातवां सत्र, १९६४ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २८३७/६४]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ . . छटा सत्र, १९६३ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २८३८/६४]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ६ . . पांचवां स , १९६३ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २८३९/६४]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १० . चौथा सत्र, १९६३ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २८४०/६४]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १३ . तीसरा सत्र, १९६२–६३
(तीसरी लोक सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८४१/६४]

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १६ . दूसरा सत्र, १९६२
(तीसरी लोक सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८४२/६४]

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या १९ . पहला सत्र ,१९६२
(तीसरी लोक सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८४२/६४]

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या १४ . चौदहवां सत्र, १९६१
(दूसरी लोक सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८४४/६४]

(नौ) अनुपूरक विवरण संख्या १७ . बारहवां सत्र, १९६०
(दूसरी लोक सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८४५/६४]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा वर्तमान सत्र में पारित किये गये और २३ मार्च, १९६४ को सभा को दी गई गत रिपोर्ट के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) वित्त विधेयक, १९६४ ।

(२) विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४ ।

अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने नए प्रतिवेदन की सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गयी कालावधि के लिये सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाय :

श्री वीरेन दत्त; श्री दशरथ देव; श्री ईश्वर रेड्डी; श्री कनकसबै; श्री मुहम्मद ताहिर; श्री राम रतन गुप्त; डा० मेल्लकोटे; श्री फतहसिंह राव गायकवाड़; श्री जयरामन; श्री मुजफ्फर हुसैन; श्री दफले; चौधरी ब्रह्म प्रकाश; श्री क० ना० पाण्डेय; श्री श्रीनारायण दास ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्री श्रीनारायण दास दुर्घटनाग्रस्त हो गये हैं। क्या उन के बारे में कोई जानकारी दी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मालूम करूंगा मैं समझता हूं कि सभा समिति थी सिफारिशों से सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

मजूरी भुगतान (सँशोधन) विधेयक

PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री और योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पटटाभिरामन : मैं श्री संजीवैया की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मजूरी भुगतान अधिनियम, १६३६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मजूरी भुगतान अधिनियम, १६३६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक--जारी

East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Delhi Amendment) Bill.—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा १ मई, १६६४ को डा० द० स० राजू द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी; अर्थात् :—

"कि पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम अधिनियम, १६४६ में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू किये गये रूप में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मन्त्री ने कहा कि इस विधेयक द्वारा तिब्बिया कालेज के छात्रों की सभी मांगें पूरी हो जायेंगी परन्तु दिल्ली राज्य आयुर्वेद कांग्रेस की बैठक में यह कहा गया कि वह मांगें पूरी नहीं होतीं। उन छात्रों की कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की जो मांग थी मालूम नहीं उसे किस कारण पूरा नहीं किया जा रहा है।

हमदर्द दवाखाना औषधियों के निर्माण और अनुसन्धान के क्षेत्र में बहुत उपयोगी काम कर रहा है इसलिये उनको तुगलकाबाद में भूमि लेने सम्बन्धी मांग पूरी की जानी चाहिए।

कई एक आयुर्वेदिक संस्थाओं में मदिरा के प्रयोग के सिलसिले में लगाये गये प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहिएं और उस पर लगाया गया उत्पादन शुल्क हटाया जाना चाहिए चूंकि उसके कारण औषधियों का निर्माण बन्द हो गया है।

नई धारा ३१क के अनुसार नियुक्त किये जाने वाले बोर्ड का प्रधान मुख्यायुक्त होगा जो परीक्षा लेने वाले निकाय के सदस्यों का नाम-निदेशन करेगा । परन्तु बोर्ड के प्रधान और परीक्षा लेने वाले निकाय में कुछ अन्तर रखा जाना चाहिए । इसलिये मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं । सदस्यों के नाम-निदेशन का अधिकार मुख्यायुक्त को नहीं दिया जाना चाहिए । इस बात का निर्णय स्वयं स्वास्थ्य उपमन्त्री अथवा कोई अन्य अधिकारी करे कि यूनानी और आयुर्वेद सम्बन्धी परीक्षाओं के लिये कौन से व्यक्ति उपयुक्त होंगे । मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस सुझाव की ओर ध्यान देंगे ।

म एक ऐसे परिवार से सम्बन्ध रखता हूं जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का अनुयायी रहा है । परन्तु आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के साहित्य का अध्ययन करके मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि यह पद्धतियां एलोपैथी से बेहतर हैं । इसलिये यह वांछनीय है कि इनको अधिक प्रोत्साहन दिया जाय । हकीमों और वैद्यों के समान होम्योपैथी के सर्टिफिकेट भी हर जगह मान्य घोषित किये जाने चाहिएं ।

एक हकीम या वैद्य यदि पंजीयन कराना चाहता है तो उसे संसद् सदस्य या विधान सभा के किसी सदस्य से एक प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है कि वह पिछले ५ वर्ष से काम कर रहा है । परन्तु संसद् सदस्यों को प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं होना चाहिए । ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये कोई संस्था होनी चाहिए । हमदर्द दवाखाना और अन्य संस्थाओं को उचित प्रोत्साहन देना चाहिए । पंजीयन के मामले में भेदभाव और भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए । अन्त में मैं फिर कहूंगा कि तिब्बिया कालेज को दिल्ली विश्वविद्यालय से मिला दिया जाय ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक सद्भाव से तैयार नहीं किया गया । संसार भर में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा कि एक ही विधेयक द्वारा दो निगमित निकायों को अस्तित्व में लाया गया हो । इस विधेयक के पारित हो जाने पर कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । मुकद्दमेबाजी बढ़ेगी । इसलिये इसे शीघ्रता में पारित न किया जाय ।

स्वयं विद्यार्थी यह नहीं चाहते कि उनकी परीक्षाओं के लिये एक निकाय बनाया जाय । वह चाहते हैं कि वर्तमान बोर्ड ही काम करता रहे । इसलिये इस विधेयक का उद्देश्य विद्यार्थियों को नहीं वरन् कुछ शरारती लोगों को रहता पहुंचाना है ।

वर्तमान बोर्ड की स्वयं स्वास्थ्य मंत्रालय के उपसचिव ने प्रशंसा की है । यह कहीं नहीं कहा गया कि बोर्ड अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रहा है । यदि विद्यार्थी इस बोर्ड के निरीक्षणाधीन अध्ययन करते हैं तो क्यों न यही उनकी परीक्षा भी करे ? स्थापित किये जाने वाले निकाय के सदस्यों के नाम-निदेशन सम्बन्धी उपबन्ध और भी आपत्तिजनक हैं । मैंने कहीं यह नहीं देखा कि विश्वविद्यालय से अतिरिक्त कोई निकाय परीक्षा लेता हो । इसके अतिरिक्त जिस प्रथा का अनुसरण हम १५ वर्ष से करते चले आ रहे हैं उसमें परिवर्तन लाने की तभी आवश्यकता हो सकती है यदि उसमें कोई त्रुटि पाई गई हो । मेरे पास एक पत्र है जिस से सिद्ध होता है कि बोर्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई । इसे मैं सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २८६६/६४**] इसलिये अलग परीक्षण निकाय की कोई आवश्यकता नहीं है ।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को जल्दी में पारित न किया जाय चूंकि परीक्षायें तो पहले ही स्थगित कर दी गयी हैं। इस के पारित करने से अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

नई धारा ३सक की उप-धारा (३) के अनुसार मुख्यायुक्त अन्य सदस्यों का नामनिर्देशन कर सकेगा और कुछ अन्य सदस्य मंत्रालय आदि से लिये जायेंगे, परन्तु ऐसे सदस्यों के लिये जाने का क्या ठोस आधार होगा यह कहीं नहीं बताया गया। अतः यह उपबन्ध त्रुटिपूर्ण है।

एक अत्यन्त अनुचित बात मेरे ध्यान में आई है। बोर्ड को अब तक २०,००० रुपये अनुदान के रूप में दिये गये हैं। अब सरकार इस प्रस्तावित परीक्षण निकाय को २०,००० रुपये अनुदान के रूप में और देगी। बोर्ड के पास पर्याप्त निधियां नहीं थीं। उसको अनुदान देने की बजाय इस निकाय को अनुदान देने का क्या मतलब है। यह अनुदान केवल शरारत पसन्द लोगों को खुश करने के लिये और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिये दी जा रही है।

अन्त में मैं फिर कहता हूं कि यह विधेयक त्रुटिपूर्ण और असंगतताओं से भरा हुआ है। इस-लिये इसे वापस लिया जाना चाहिये।

श्री अ० जि० शर्मा :(छतरपुर) ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक तिब्बिया कालेज के विद्यार्थियों की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया है परन्तु वास्तव में इससे उन की मांगें पूरी नहीं होतीं। वह चाहते थे कि उनको प्राप्त होने वाली डिग्रियां सभी राज्यों में मान्य होनी चाहियें। यह मांग तभी पूरी की जा सकती है जबकि कोई संस्था स्थापित की जाय। केवल निरीक्षण निकाय बनाने से यह मांग पूरी नहीं की जा सकती। विद्यार्थियों की मांगों को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि एक यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सम्बन्धी संस्था स्थापित की जाय या विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय और सारे देश में इस शिक्षा का समान आधार हो। पाठ्य-क्रम और अवधि-सम्बन्धी जो अन्तर हैं वह समाप्त होने चाहियें। प्रस्तुत विधेयक से वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

यदि मंत्रालय चाहे तो स्वयं तिब्बिया कालेज को एक विश्वविद्यालय का रूप दे सकता है और इस के साथ एक अस्पताल का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। मुझे आशा है कि इस सुझाव को स्वीकार किया जायगा।

यदि यह प्रस्तावित निकाय परीक्षा के लिये पर्चे नहीं बनाता और जवाबी पर्चे नहीं देखता तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। परन्तु इस का उल्लेख इस विधेयक में ही होना चाहिये। वर्तमान विधेयक से ऐसा मालूम होता है कि यह परीक्षायें भी लेगा, पाठ्य-क्रम भी निर्धारित करेगा, पर्चे भी बनायेगा और जवाबी पर्चे भी देखेगा। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये।

बोर्ड के स्थान पर जो नाम-निर्देशित निकाय बनाया जा रहा है उसमें भी मुझे आपत्ति है। इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होंगे। विश्वविद्यालयों में भी निरीक्षक बाहर से नियुक्त किये जाते हैं। परन्तु इस सिलसिले में निरीक्षक बाहर के नहीं होंगे। इसलिए यह आपत्तिजनक है।

अन्त में मैं फिर कहूंगा कि यदि प्रस्तावित निकाय परीक्षायें नहीं लेगा, पर्चे नहीं बनायेगा और जवाबी पर्चे भी नहीं देखेगा तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। उस सूरत में मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती राजलक्ष्मी (औरंगाबाद) : हमारे देश के लगभग ७८ प्रतिशत लोग निरक्षर हैं और वह अपने पुराने विश्वास के अनुसार आयुर्वेदिक और अन्य देशी चिकित्सा पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त देशीय चिकित्सा पद्धतियां तुलनात्मक दृष्टि से हानि कम पहुंचाती हैं। मितव्ययता की दृष्टि से भी वह अधिक हितकर हैं। परन्तु इसके बावजूद भी यह खेद की बात है कि सरकार ने देशीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। तृतीय योजना में इन के लिये केवल ९.८२ करोड़ रुपये की राशि ही निर्धारित की गई। सरकार को चाहिये कि वह हर प्रकार से इन पद्धतियों को प्रोत्साहन दे।

चूंकि प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य इन पद्धतियों के लिये कुछ अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करना है इसलिये मैं इसका समर्थन करती हूं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर): इस विधेयक से साफ जाहिर है कि सरकार इस समस्या को उतनी गम्भीरता से नहीं देखती जितनी गम्भीरता इस के लिए वांछनीय है। यह किसी दबाव के अधीन प्रस्तुत किया गया है और मंत्रालय ने यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों सम्बन्धी शिक्षा की धारणा ही ठीक नहीं बनाई। हम एक बोर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं और इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों सम्बन्धी सारा दायित्व उसी बोर्ड का होगा। वही पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा, वही परीक्षायें लेगा और वही निश्चित करेगा कि अनुसन्धान किस तरह होने चाहियें। सरकार का यह समझना गलत है कि यह पद्धतियां अलग से रह कर, आधुनिक विज्ञान के वातावरण से परे रह कर विकास की ओर अग्रसर हो सकती हैं। यह बोर्ड इसीलिये बनाया जा रहा है कि इन पद्धतियों को विश्वविद्यालय के वातावरण से अलग रखा जाय। इसलिये इस विषय में काफी पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस विधेयक को इस तरह पारित नहीं किया जाना चाहिये। यदि हम चाहते हैं कि यह पद्धति विकसित हो तो कोई वैज्ञानिक उपाय करना होगा। या तो वर्तमान संस्थाओं को विश्वविद्यालयों के साथ लगाया जाय, या देशी पद्धतियों के लिये एक अन्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। पिछले १५ वर्षों में हमने ऐसी कोई संस्था स्थापित नहीं की।

इस सिलसिले में देश भर में शिक्षा के आधार एक समान होना चाहिये जो उद्देश्य की मुख्य आयुक्त के अधीन एक बोर्ड बना कर पूरा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि देशीय पद्धतियों को आधुनिक पद्धतियों से अलग नहीं रखा जा सकता। हमारे वैद्य तथा हकीम औषधियों सम्बन्धी नवीन परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं। परन्तु प्रस्तुत विधेयक में इन सब तत्वों की अवहेलना

[श्री अ० ना विद्यालंकार]

की गयी है । यह केवल कुछ प्रदर्शनकारियों को खुश करने के लिये और कुछ प्रकार के लोगों के दबाव में आ कर तैयार किया गया है । इसलिये इस बारे में पुनर्विचार किया जाय ।

डा० उ० मिश्र (जमशेदपुर) : इस विधेयक द्वारा उन विद्यार्थियों का हित भी नहीं होगा जिनके हित के उद्देश्य से यह लाया गया है । चूंकि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं की गयीं इसलिये वैद्यों और हकीमों में हीन भाव पाया जाता है । प्रस्तुत विधेयक द्वारा जो परीक्षण निकाय बनाया जा रहा है चूंकि वह एक नामनिर्दिष्ट सदस्यों का निकाय होगा इसलिये उसमें सक्षम व्यक्ति नहीं आ सकेंगे । आवश्यकता इस बात की है इन पद्धतियों को अन्य आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के समान मान्यता प्रदान की जाय । इस विधेयक को वापस ले कर एक अन्य विधेयक लाया जाना चाहिये । आधुनिक एवं देशीय चिकित्सा पद्धतियों में समन्वय होना चाहिये और देशीय पद्धतियों की शिक्षा चिकित्सा कालेजों में दी जानी चाहिये । देशीय पद्धतियों के मामले में जो हीन भाव पाया जाता है वह इस तरह समाप्त हो सकेगा । देश भर में चिकित्सा पद्धतियों के शिक्षण के मामले में समानता होनी चाहिये ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : (Jhajjar) : It is the sacred duty of the Government to look to the interests of the Tibbia College since it has done a great service to the nation. The certificates issued to the Ayurvedic and Unani medical students should be given recognition throughout the country. Because the indigencus systems are cheaper comparatively they should be popularised in States like Punjab, Himachal Pradesh, U.P., Rajasthan etc. also. Herbs are available in plenty in such areas. Gurukul Kangri Pharmacy is producing indigenous medicines in large quantities which have become popular throughout the country. The Government should give adequate assistance to this Institution also. The Dgree of Ayurvedalankar being issued by the Ayurvedic College of the said Institution should be given recognition by the Government.

From the studies of our old literature we came to know that even plastic surgery was there in the Ayurvedic system. We have such herbs in country which can cure all diseases. So the indigenous systems of medicines should be more and more encouraged.

डा० च० भा० सिंह (बिलासपुर) : आम सदस्यों ने यह शिकायत की है कि देशीय चिकित्सा पद्धतियों को अभी उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया है । परन्तु यह किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं बताया कि इन चिकित्सा पद्धतियों को उपयुक्त स्थान कैसे दिया जा सकता है ।

हम यूनानी, तिब्बी और आयुर्वेद को उनका उपयुक्त स्थान कैसे दिला सकते हैं । पुराने ऋषियों और हकीम अजमल खां के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति में कोई भी प्रगति और अनुसंधान नहीं हुआ । यही कारण है कि आज छात्र एलोपैथी के अध्ययन के लिए आतुर रहते हैं । गत वर्ष तिब्बिया कालेज के छात्रों ने जो संघर्ष किया उसके कारण यह विधेयक लाया गया है । इस प्रकार का संघर्ष लखनऊ, बनारस, आगरा

आदि कई स्थानों पर हो चुका है । किन्तु इतने वर्षों से इस क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई ।

यदि इन संस्थाओं को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता तो एक अखिल भारतीय निकाय स्थापित करना चाहिये जो पाठ्यक्रम और अनुसंधान के तरीके निर्धारित करे । लखनऊ में चिकित्सा की एकीकृत पद्धति का अध्यापन होता था । बनारस में आधुनिक भारतीय चिकित्सा का पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था । इसी प्रकार का आयोजन सब जगह होना चाहिये जिस से भारतीय औषधि विज्ञान का विकास हो । तभी हकीमों और वैद्यों को भी मान्यता प्राप्त हो सकेगी । अतः अखिल भारतीय निकाय बहुत उपयोगी होगा । भारतीय औषध पद्धति का विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित करना चाहिये । वह नियम, उपनियम और पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा । इस से बहुत समस्यायें हल हो जायेंगी । इस विधेयक का प्रारूप दोषपूर्ण है । इस से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी । अतः अधिक व्यापक विधेयक लाना चाहिए ।

Shri Bagri : From the objects and reasons of the Bill it appears that the former body had the dual functions of registration as well as of holding examinations. Now a separate examining body is being set up. The new body will be a nominated organisation which shows that it would give an opportunity for favouritism and nepotism. What is the use of separating this body and of incurring an extra expenditure of 15 to 20 thousands of rupees.

Only 1 to 2 percent of the population is in a position to avail of the medical treatment under Alopathic or Homeopathic system of medicine. The rural area is not being benifitted by it. The modern system of medicine is for the rich only. To extend the facilities of treatment to the remolest rural areas it is very essential that the Indian system of medicine is encouraged.

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : स्वतंत्रता प्राप्ति के सत्रह वर्ष बाद भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा । किन्तु मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि सरकार ने इस गंभीर आवश्यकता को अब पहचान लिया है । किन्तु यह विधेयक व्यवहार्य नहीं है । मुख्य आयुक्त के पास इतना अधिक काम होता है कि वह इस प्रकार के तकनीकी विषय की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकेगा । एक स्वायतशासी विशेषज्ञ बोर्ड बनाना चाहिये जिससे स्वास्थ्य मंत्रालय का सीधे सम्बन्ध हो । इससे यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धतियों को उचित स्थान प्राप्त होगा ।

अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को वापस ले कर अधिक उपयोगी विधेयक लायें ।

श्री मा० श्री अणे (नागपुर) : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य से पता लगता है कि पुराने बोर्ड के कामों को दो निकायों में बांट दिया जायेगा । एक निकाय केवल पंजीयन का कार्य करेगा और दूसरा परीक्षाओं की व्यवस्था करेगा और पाठ्यक्रन निर्धारित करेगा । विधेयक की योजना से अनेक कठिनाइयां पैदा होंगी ।

देशी चिकित्सा प्रणालियों का विकास स्वतः होने देना चाहिये किन्तु एक संस्था का निर्माण होना चाहिये । मुख्य आयुक्त बहुत व्यस्त व्यक्ति होता है वह बोर्ड के सदस्यों को चुनने के काम की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकेगा । अतः संभवतः बोर्ड के प्रति पर्याप्त विश्वास की भावना पैदा

[श्री मा० श्री० अणे]

न हो। दोनों निकायों में तालमेल नहीं हो सकेगा। संभवत: वे परस्पर प्रतिस्पर्द्धा की भावना से काम करें जिससे कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

पुराने जमाने में हम दूर-दूर होने के कारण एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते थे। अब तो हर एक दूसरे के ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। देश के भीतर जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां मौजूद हैं, उन्हें विकसित होने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। परन्तु यह प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिए कि ये सब प्रणालियां एक दूसरे के निकट आकर परस्पर सहायक हों। आखिरकार ये सब प्रणालियां मानव के कल्याण के लिए हैं। आयुर्वेद का तो अर्थ ही यह है जीवन का तत्व। अत: इन विभिन्न प्रणालियों को एक सामान्य संस्था के अन्तर्गत लाकर अनुसंधान की व्यवस्था की जानी चाहिए और उस अनुसंधान के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रणालियों में तुलना की जा सके। और सब की विशेषताओं का लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यही इस दिशा में वह लक्ष्य है जिसे कि मंत्रालय को अपने समक्ष रखना चाहिए। यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो शायद इस विधेयक के अन्तर्गत न आ सके।

मुझे आशा है कि मंत्रालय को इसे ठोस आदर्शों के आधार पर विचार करना चाहिए। ऐसी योजना का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे एक प्रकार का सभी का समन्वय हो जाय। देश के लाभ के लिए एक सामान्य चिकित्सा प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए। वर्तमान विधेयक द्वारा जो परिवर्तन किया जा रहा है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। शायद यह अपने उद्देश्य में सफल न हो सके। परन्तु मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए और यदि उन्हें मामला असन्तोष-जनक लगे तो उन्हें विधेयक वापिस ले लेना चाहिए।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतहपुर) : मुझे इस बात का खेद है कि सरकार ने यूनानी और आयुर्वेद को पूर्णतया भूला दिया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत लोगों को सस्ती चिकित्सा उपलब्ध हो जाती है, और गरीब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं।

मुझे इस बात पर भी आश्चर्य है कि देश के विभिन्न भागों में अभी भी आयुर्वेद की शिक्षा पद्धति एक जैसी नहीं है। सरकार एक सामान्य बोर्ड बना कर इस सारे काम को उसके हवाले क्यों नहीं कर देती, जैसा कि एलोपैथी के सिलसिले में किया गया है। यदि ऐसा कर दिया जाए तो सारे मामले पर प्रत्येक जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि पाठ्यक्रम भी सामान्य हो और प्रशिक्षण, अध्यापन और पंजीयन जैसे सभी मामलों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि देश की आजादी के १७ वर्ष बाद भी हम ने अपने देश की औषधियों को उचित स्थान नहीं दिया। यूनानी तथा आयुर्वेदिक पद्धति को बिलकुल उपेक्षित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिये था कि वह आगे आकर इस मामले में अपने साधनों का उपयोग करता। वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता तथा उचित तौर पर अनुसंधान का कार्य भी होता। सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिये कि देश के कितने लोग इन प्रणालियों से लाभ उठाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि परीक्षा निकाय का कार्य आयुक्त को नहीं सौंपा जाना चाहिये। उसे इन प्रणालियों के बारे में क्या ज्ञान हो सकता है। मैं यह निवेदन

करूंगा कि देशी चिकित्सा प्रणालियों को सच्चा प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। जिसके द्वारा कि स्वदेशी औषधियों को समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। उनके साथ सौतेली मां का व्यवहार नहीं होना चाहिये।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया था कि रूस में आयुर्वेद के अनुसन्धान का बड़ा भारी कार्य हो रहा है। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ था कि इस बारे में भारत में प्रायः कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि यह देश आयुर्वेद का घर समझा जाता है। फिर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देशी औषधियों के विकास के लिये जो १० करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी उसमें से बहुत ही थोड़ी राशि व्यय की गयी है। यह राशि जिस प्रकार उपयोग की जानी चाहिये थी उस प्रकार प्रयोग में नहीं लायी गयी। यदि इस सारी राशि का प्रयोग कर लिया जाता तो यह निश्चित था कि इससे देश के लोगों को काफी लाभ पहुंचता। जो विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है उसका सम्बन्ध एक परीक्षण निकाय की स्थापना करना है। मेरे विचार में यदि इस प्रस्तावित निकाय ने केवल प्रशासनिक कार्य ही करना है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं, जो पहला बोर्ड कार्य कर रहा है, उसकी वकालत नहीं करती परन्तु मेरा कहना यह है कि यदि वह बोर्ड अच्छा कार्य कर रहा है तो फिर दूसरा निकाय बनाने की क्या ज़रूरत है। इससे तो भ्रान्ति फैलने की ही सम्भावना है। मुख्य आयुक्त को नियम बनाने के अधिकार देने वाली बात भी समझ में नहीं आयी। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में विधेयक अधिक व्यापक और अपने में पूर्ण होना चाहिए था। मंत्रालय भारतीय चिकित्सा परिषद् के आधार पर आयुर्वेद परिषद् भी बना सकता था। सरकार को आयुर्वेद प्रणाली के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए कि अनुसन्धान के लिए स्वीकृत समूची राशि का प्रयोग हो जाए। सरकार को देशी चिकित्सा को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि देशवासियों को अच्छी और सस्ती चिकित्सा प्राप्त हो सके।

राज्य-सभा के सदस्य के गलती से लोक-सभा में प्रवेश के बारे में

RE: MISTAKEN ENTRY OF RAJYA SABHA MEMBER INTO LOK SABHA

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : जब मैं बोल रहा था तो कोई सज्जन सदन में घुस रहे थे, जो कि सदन के सदस्य नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जांच करूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : A member of Rajya Sabha, Shri Ajmal Khan, came to this house and stayed here from ten to fifteen minutes and then left. Nobody came to know anything about it.

उपाध्यक्ष महोदय : मामले में जांच करके पता किया जायेगा कि क्या बात है।

पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक--जारी

EAST PUNJAB AYURVEDIC AND UNANI PRACTITIONERS' (DELHI AMENDMENT) BILL—*contd.*

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मुझे उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना है जिन्होंने इस मामले में अपना स्पष्ट मत प्रकट किया है । मेरे विचार में कुछ माननीय सदस्यों को कुछ भ्रान्ति रह गयी है, अतः मैं मामले को स्पष्ट करता हूं ।

सब से पहिले श्री त्रिवेदी ने जो कुछ कहा है उससे मालूम होता है कि उनके मन में बड़ी भारी भ्रांति है । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि पंजीयन का कार्य राज्य की परिषदें करती हैं विश्वविद्यालयों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं । सरकार ने किसी मजबूरी के कारण इस बोर्ड के कृत्यों को अलग नहीं किया है । तिब्बिया कालेज के सारे मामले पर गृह-कार्य मंत्री, दिल्ली के मेयर, चीफ कमिश्नर तथा स्वास्थ्य मंत्री के सम्मेलन में विचार किया गया था तथा अन्त में इस बोर्ड के कृत्यों को अलग करने का निर्णय किया गया ।

विद्यार्थियों की काफी शिकायतें थीं तथा उनकी जांच की जा रही है । जो बोर्ड, जिसमें ७ सदस्य हैं, चीफ कमिश्नर के प्राधिकार में संगठित होगा जो कि सरकार का प्रतिनिधि था तथा जो इससे मार्ग प्रदर्शन में काम करता था । वह बोर्ड परीक्षकों की एक तालिका नियुक्त करेगा और इसकी संख्या आयुर्वेद के लिए ३८ और यूनानी के सम्बन्ध में ३४ होगी । परीक्षा निकाय पाठ्य-पुस्तकों को निश्चित करेगी । बहुत सीमा तक वह विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में विशेषज्ञों के पथ-प्रदर्शन में काम करेगी ।

"तिब्बिया कालेज" के विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता चाहते हैं परन्तु वह एक स्वतन्त्र निकाय है तथा हम उसे ऐसा करने को विवश नहीं कर सकते । सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के भरसक प्रयत्न कर रही है परन्तु कुछ ठोस परिणामों की प्राप्ति में समय लगेगा ।

संसद्-सदस्य तथा विधान-सभाओं के सदस्य ऐसे आयुर्वेदिक तथा यूनानी प्रेक्टिशनरों को आचरण संबंधी प्रमाणपत्र दे सकते हैं जो उचित योग्यता वाले नहीं हैं तथा जिन्हें १० वर्ष का तजुर्बा नहीं है । उन प्रमाणपत्रों से रजिस्ट्रार को सहायता मिल सकती है परन्तु उसे सन्तोष होना चाहिये कि वे व्यक्ति उस समय प्रेक्टिस कर रहे हैं । हो सकता है वे बहुत छोटे प्रेक्टिशनर हों तथा हम उन पर मुकदमा नही चलाना चाहते ।

सरकार आयुर्वेद का विकास करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है । इसका हमारी संस्कृति तथा सभ्यता से गहरा सम्बन्ध रहा है । यह एक वैज्ञानिक पद्धति थी, परन्तु ऐतिहासिक तथा कुछ अन्य कारणों से यह छिन्न भिन्न हो गयी है । आयुर्वेद का कोई एक पाठ्यक्रम नहीं है । आयुर्वेद भेषज संहिता भी अभी तैयार नहीं हुई है । इसलिये हमारे प्रयत्नों से कुछ ठोस परिणाम निकलने में अभी कुछ समय लगेगा ।

हमदर्द दवाखाना अच्छा कार्य कर रहा है । उसने तीन प्लाटों के लिये प्रार्थना की थी उसने हरबेरियम के लिये जिस प्लाट की मांग की थी वह दिल्ली प्रशासन के "ग्रीन बैल्ट' क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । इसलिये दिल्ली प्रशासन ने उसे वह प्लाट उसके स्वामियों से खरीदने के लिये

कहा था। अन्य दो प्लाटों के दामों को वह दवाखाना कम करवाना चाहता है जबकि दिल्ली प्रशासन ने उनके दाम निर्धारित कर रखे हैं। मुझे आशा है कि इस मामले में जल्द ही कोई समझौता हो जायेगा।

हकीम तथा वैद्य तीन प्रकार के हैं। जो अर्हता प्राप्त डाक्टरों की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। वे भाग १ के अन्तर्गत दर्ज समझे जाते हैं। दूसरी श्रेणी में वे डाक्टर आते हैं जो पर्याप्त अर्हता प्राप्त नहीं हैं परन्तु जिन्हें दस वर्ष का अनुभव है। यह सिद्ध करने के पश्चात् वे अधिनियम के भाग २ में दर्ज किये जाने के हकदार हो जाते हैं। तीसरी श्रेणी में ऐसे वैद्य अथवा हकीम आते हैं जो न ही पर्याप्त अर्हता प्राप्त हैं और न ही उन्हें दस वर्ष का अनुभव है। यदि वे गजट अधिसूचना के समय यह सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि वे उस समय वैद्य अथवा हकीम का काम कर रहे थे तो भी दर्ज किये जाने के हकदार बन सकते हैं। यही वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने संसद्-सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों से आचरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये निवेदन किया हो। वैद्यों को विधि के अन्तर्गत संरक्षण देने के लिये ही ये तीन श्रेणियां बनाई गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्वी पंजाब वैद्य तथा हकीम अधिनियम, १९४९ में, दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र लागू रूप में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adoped.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ६ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड २ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गए।

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

खण्ड ७--(धारा ३० का संशोधन)

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं अपने संशोधन संख्या १, २ और ३ प्रस्तुत करता हूं। ये संशोधन मौखिक हैं और इनसे प्रशासन को काफी सहायता मिलेगी। अतः माननीय मंत्री को इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

डा० द० स० राजू : हम कृत्यों को पृथक करके बोर्ड के काम को हल्का कर रहे हैं। इसलिये इन संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है।

संशोधन संख्या १ से ३, सभा की अनुमति से, वापिस लिये गये।

Amendments Nos. 1 to 3 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड ८--(नई धारा ३१क का जोड़ा जाना)

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं अपने संशोधन संख्या ४ से १६ प्रस्तुत करता हूं । खण्ड ८(२) को विधेयक से निकाला जाना चाहिये । एक ही विधि के अन्तर्गत दो निगमित निकायों को रखना बहुत कठिन सिद्ध होगा और यह विधि के उपबन्धों में उलझन पैदा करेगा । जांच निकाय ('एग्जामिनिंग बाडी") आयुर्वेद बोर्ड का एक गौण निकाय होना चाहिये । इस खण्ड में दिया हुआ है कि 'जांच निकाय' के सात सदस्य होंगे जो मुख्य आयुक्त द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे । मैं चाहता हूं कि "मुख्यायुक्त द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे" शब्दों को निकाल दिया जाये । इस निकाय पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं के बारे में कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिये । कानून की शब्दावली स्पष्ट होनी चाहिये । खण्ड (च) में प्रसिद्ध वैद्य शब्दों का उल्लेख किया गया है । मैं चाहता हूं कि वह वैद्य अर्हता प्राप्त व्यक्ति होना चाहिये क्योंकि मेरा निजी अनुभव है कि कई वैद्य काफी ख्याति प्राप्त हैं जब कि उन्हें वास्तव में लिखना पढ़ना तक नहीं आता ।

डा० द० स० राजू : चूंकि यह प्रणाली अभी तक एक एकीकृत प्रणाली है इसलिये "आधुनिक चिकित्सा प्राध्यापक" ("प्रोफैसर आफ माडर्न मेडिसिन") शब्द रखे गये हैं । जब यह पद्धति समाप्त हो जायेगी तब ये शब्द हटा दिये जायेंगे । "ख्यातिप्राप्त" शब्द का ठीक प्रकार अर्थ लगाया जायेगा जिससे कि "जांच निकाय" का भला हो सके । जहां तक कानूनी पहलू का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया गया है और इन दोनों कानूनों में परस्पर विरोधी कोई बात नहीं है ।

संशोधन संख्या ४ से १६ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

Amendments Nos. 4 to 16 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड ९, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 9, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० द० स० राजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

दिल्ली (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

DELHI (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक में निहित कुछ शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह एक सीधा सादा विधेयक है जिसका उद्देश्य मुख्य सचिव तथा जिला न्यायाधीश जैसे अन्य अधिकारियों को मुख्य आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाने वाली अपीलीय तथा राजस्व वसूल करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन करना है। मुख्य आयुक्त का कार्यभार कम करने के लिये यह कदम उठाया गया है। मुख्य आयुक्त को प्रत्येक वर्ष लगभग ४०० अपीलों की सुनवाई करनी पड़ती है। उनको अन्य प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन अपीलों को निपटाने में देर हो जाती है। इसलिये अन्य अधिकारियों को ये शक्तियां प्रत्यायोजित करना जरूरी हो गया है।

भू-राजस्व विधियों के अन्तर्गत मुख्य सचिव को उप-आयुक्त के आदेशों के बायरे में की गई अपीलों की सुनवाई करने का शक्तियां दी जा रही हैं। बंगाल बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री कर आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई करने के लिये फिलहाल जिला न्यायाधीश को शक्तियां दी जा रही हैं। जहां तक गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) विधेयक का सम्बन्ध है, गृह मंत्री की दिल्ली मंत्रणा समिति की गत बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय किया गया था कि निष्कासन आदेश को रोकने की शक्ति न्यायिक अधिकारी की अपेक्षा प्रशासनिक अधिकारी को सौंपी जानी चाहिये। गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक में जो निर्माण, आवास मंत्रालय की ओर से सभा में प्रस्तुत किया गया है, संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के अनुसार यह दिया हुआ है कि यह शक्ति जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोग में लाई जायेगी। इसलिये इस मामले पर उस मंत्रालय से बातचीत की गई और निर्माण तथा आवास मंत्री उक्त विधेयक में यह संशोधन करने के लिये सहमत हो गये हैं कि जिला न्यायाधीश की बजाय मुख्य सचिव अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी भी इन अपीलीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): मुख्य आयुक्त के कार्य-भार को कम करने के लिये यह विधेयक लाया गया है और अपीलों की सुनवाई का कार्य मुख्य सचिव को सौंपा जा रहा है।

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

परन्तु मेरा निवेदन है कि मुख्य सचिव को मुख्य आयुक्त से भी अधिक कार्य करना पड़ता है और इसलिये वे इन अपीलों का निपटारा ठीक प्रकार से नहीं कर सकेंगे। कम से कम दिल्ली जैसे संघ राज्य क्षेत्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की दिशा में सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिये। इसलिये किसी न्यायिक अधिकारी को ही इन अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिये।

मुख्य सचिव को न्यायाधिकरण अधिकारी के अधिकार नहीं दिये जाने चाहिएं। यदि मुख्य आयुक्त के पास अपीलें सुनने तथा उन्हें निबटाने का समय नहीं है तो यह काम न्यायपालिका को सौंपा जाना चाहिये। सरकार को कम से कम यह व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग अपना कार्य करें। जिन शक्तियों को मुख्य सचिव को देने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है वे शक्तियां न्यायपालिका को प्रत्यायोजित की जानी चाहिएं।

विधेयक में खंड ३ (१) रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह विधेयक में से हटा दिया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का वर्तमान रूप में विरोध करता हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : यद्यपि यह विधेयक बहुत सरल दिखाई देता है किन्तु इसकी क्रियान्विति पर यह बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिये कि जो शक्तियां मुख्य सचिव को दी जा रही हैं, उन्हें जिला न्यायाधीशों को क्यों नहीं दिया गया। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि मुख्य सचिव को अपीलीय न्यायालय की शक्तियां क्यों दी जा रही हैं।

[**श्री सोनावने** पीठासीन हुए]

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

मैंने, पंजाब भूराजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, बंगाल वित्त अधिनियम, दिल्ली भूराजस्व अधिनियम आदि का अध्ययन किया है। इन सब में इस प्रकार की शक्तियां न्यायाधिकरण अधिकारियों को प्राप्त हैं। यदि इस प्रकार की शक्तियां कार्यपालिका को दी गईं तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि सरकार का न्यायपालिका में विश्वास नहीं है।

सरकार यदि चाहती है कि साधारण जनता को उचित न्याय प्राप्त हो सके तो ये शक्तियां कार्यपालिका को न देकर न्यायपालिका को दी जानी चाहिएं। यह अधिक अच्छा होता कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद की व्यवस्था करके मुख्य आयुक्त की शक्तियां मुख्य सचिव को न देकर जिलाधीश को दी जातीं।

श्री ल० ना० मिश्र : इस विधेयक का सम्बन्ध कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के अलग होने से नहीं अपितु इस बात से है कि मुख्य आयुक्त की कुछ शक्तियां जिला न्यायाधीश और कुछ शक्तियां मुख्य सचिव को प्रत्यायोजित की जाएं। मुख्य रूप सेइसका सम्बन्ध राजस्व सम्बन्धी मामलों से है, यही कारण हैं कि मुख्य सचिव को अपीलीय प्राधिकारी बनाया जा रहा है।

जहां तक अपीलीय न्यायाधिकरण का सम्बन्ध है, इसके लिये जिला न्यायाधीश है। आवश्यकता पड़ने पर शक्तियों का अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजन करने की व्यवस्था मूल अधिनियम में की गई है। अतः इस बारे में किसी प्रकार की आशंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : प्रशासक जो चाहे कर सकता है। वह अपनी शक्तियां किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है। और वह उन्हें जब चाहे वापिस ले सकता हैं।

श्री ल० ना० मिश्र: इस विधेयक के पारित हो जाने से मुख्य आयुक्त किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, इस बारे में कोई आशंका नहीं रहनी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक में निहित कुछ शक्तियों के प्रत्यायोजन व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३ तथा अनुसूची विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड २ और ३ तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

खंड १--(संक्षिप्त नाम और विस्तार)

श्री ल० ना० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ४,--

"1963" ["१९६३"] के स्थान पर "1964" "["१९६४"] रखा जाये। (२)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ में १, पंक्ति ४,--

"1963" ["१९६३"] के स्थान पर "1964" ["१९६४"] रखा जाये। (२)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 as amended was added to the Bill.

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ १, पंक्ति १,—

" Fourteenth " ["चौदहवां"] के स्थान पर " Fifteenth " ["पन्द्रहव]" रखा जाये। (१)

[श्री ल० ना० मिश्र]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमित सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया :

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री ल० ना० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक

DRUGS AND COSMETICS (AMANDMENT) BILL

सभापति महोदय : डा० सुशीला नायर :

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव कैसे रखा जा रहा है जबकि इसके साथ राष्ट्रपति का अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं है ?

सभापति महोदय : इस बारे में अपेक्षित प्रमाणपत्र राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है और यह शनिवार, २ मई, १९६४ के समाचार भाग २ में दिया गया है। यह इस प्रकार है :–

[सचिव, लोक-सभा के नाम डा० सुशीला नायर, स्वास्थ्य मन्त्री के दिनांक २९ अप्रैल, १९६४ के पत्र संख्या एफ० १–१०/६३-डी की प्रति]

राष्ट्रपति को भेषज तथा श्रृंगार-सामग्री (संशोधन) विधेयक, १९६४ राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत लोक-सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि प्रमाणपत्र विधेयक के साथ सम्बद्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद १०९, ११० और ११७(१) के अन्तर्गत यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद इस सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए था। संविधान के अनुच्छेद १०९, खण्ड (१) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्त विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह वित्त विधेयक नहीं है। क्या राज्य सभा में पुरःस्थापित करते समय इस विधेयक के साथ प्रमाण पत्र सम्बद्ध था ?

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

(MR. SPEAKER *in the Chair*)

श्री सिंहासन सिंह : प्रस्तुत विधेयक के खण्ड ५ तथा अन्य खण्डों का धन से सम्बन्ध है। अतः यह विधेयक वित्त विधेयक की परिभाषा के अन्तर्गत आता है और यह राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए था।

मूलतः यह विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। जबकि इसको लोक-सभा में पुरःस्थापित किया जाना चाहिये था क्योंकि संविधान के अनुच्छेद ११० के अनुसार यह धन विधेयक है। यदि यह धन विधेयक नहीं है तो इस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता न होती। इस पर विचार के समय राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होना ही यह सिद्ध करता है कि यह धन विधेयक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री सिंहासन सिंह की इस आपत्ति से सहमत नहीं हूं। यह अनुच्छेद ११० के खण्ड (क) से (च) तक की परिभाषाओं में धन विधेयक नहीं है। यह अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत आता है। इसका प्रभाव चाहे भारत की संचित निधि से व्यय है लेकिन इसमें केवल निकासी अथवा कराधान के लिये अथवा अन्य बातें नहीं हैं। : यह अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत ही विचारार्थ और पारित करने के लिये रखा गया है। अतः मैं समझता हूं कि हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : आपके पास सिफारिशें आ गयी हैं। उन्हें पढ़ा भी गया है। लेकिन सिफारिशें विधेयक के साथ होती हैं। इस विधेयक के साथ पता नहीं क्यों सिफारिशें नहीं रखी गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें यह कमी है। सिफारिशें विधेयक के साथ छपनी चाहियें। मुझे बताया गया है कि जब यह एक सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है और दूसरी सभा को भेजा जाता है, तो सफारिश पृथक् से आती हैं और इसको विधेयक के साथ नहीं छापा जा सकता।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : अध्यक्ष महोदय, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, १९६४ सभा के समक्ष है। औषधि तथा प्रसाधन-सामग्री अधिनियम, १९४० यूनानी और आयुर्वदिक औषधियों पर लागू नहीं होता है। इस संशोधन विधेयक द्वारा कुछ संशोधन किये जा रहे हैं ताकि यह अधिनियम आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों पर भी लागू किया जा सके। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि निर्माध उद्योग एक बड़ा उद्योग बन गया है। लाखों रोगी इन औषधियों का सेवन करते हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार को जनता के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिये पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिये।

हमें ऐसी कई शिकायतें मिलीं कि आयुर्वेदिक औषधियों में स्पिरीन, सल्फा और एकोमाइसीन और अन्य औषधियां मिला कर बची जाती हैं। यह बड़ा हानिकारक है। यह भी बताया गया है कि मकरध्वज में जो सोना मिला हुआ होता है वह निकाल लिया जाता है और सोना रहित मकरध्वज बेचा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अपना भाषण कल जारी रखें।

अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों से आने वाले भारतीयों के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : INDIAN REPATRIATES FROM NEWLY INDEPENDENT COUNTRIES OF AFRICA

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : नये स्वतन्त्र हुए पूर्वअफ्रीकी देशों में ३ लाख से अधिक भारतीय और भारतीय राष्ट्रजन हैं। जंजीबार में १८,००० भारतीय हैं जिनमें ३५० भारतीय राष्ट्रजन हैं। तांगानीका में ८७,००० भारतीय हैं जिनमें ५००० भारतीय राष्ट्रजन हैं। केन्या में १,८०,००० भारतीय हैं। जिनमें लगभग ७६५० भारतीय राष्ट्रजन हैं। समझ में नहीं आता कि वहां पर ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गयी कि वहां पर भारतीयों को स्वदेश लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अफ्रीकी देशों के स्वतन्त्रता—संग्राम में और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में भारत ने उनके साथ बड़ा सहयोग किया है और वह बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता जी ने पहले अफ्रीकी देशों का नेतृत्व किया और फिर इस देश का। ऐसा प्रतीत होता है कि उन देशों में भारत के प्रति जो सद्भाव था, उसमें कमी हुई है। सरकार को यह बताना चाहिये कि ऐसा क्यों है और सद्भाव में इस कमी के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार ने अफ्रीका को माना नहीं है? चीन और पाकिस्तान जैसे अन्य देश जिनकी उनके साथ कोई विशेष मैत्री अथवा पहचान नहीं थी, सक्रिय रूप से वहां प्रचार कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर लोगों पर अपना प्रभाव जमा रहे हैं लेकिन हम इस सब को खो बैठे हैं।

बड़ी संख्या में लोगों को इन देशों को छोड़ना पड़ रहा है। जंजीबार में क्या हुआ ? ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने केवल श्वेत व्यक्तियों की सहायता की और हमारी ओर से लोगों की कोई परवाह नहीं की गयी। वहां पर हमारे उच्चायुक्त ने बताया कि जंजीबार में लगभग ४०० भारतीयों की हालत बहुत बरी है। उन्होंने उस देश से जाने के लिये निःशुल्क यात्रा की प्राथना की लेकिन उनकी सुनवाई के लिये वहां कोई नहीं है।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने समुद्र पार देशों में भारतीयों को होने वाली कठिनाई का दोष उन भारतीयों पर ही पड़ा। उन्होंने वहां भारतीयों की समस्या हल करने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि उस समस्या को और भी पेचीदा बना दिया और उनकी कठिनाइयों में वृद्धि कर दी।

वहां पर सैंकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो सेवा में हैं और हजारों व्यापार में लगे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने उन लोगों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये हैं। वे लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं या नहीं, उनको समान नागरिकता अधिकार हैं या नहीं, क्या उनकेप्रति भेदभाव बरता जाता है—हम सब इस बारे में चिन्तित हैं। उन देशों के कुछ भागों में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि उन देश के प्रति भक्त लोग भी अपने को सुरक्षित नहीं समझते।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

मैं यह नहीं चाहता कि वहां से सभी लोग यहां आवें। लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि उन देशों में ऐसी स्थिति और वातावरण हो कि वे लोग वहां शांति से रह सकें। उन देशों के साथ हमारे मंत्री सम्बन्धों को देखते हुए ऐसा करना कठिन भी नहीं है।

वहां कोई ऐसा संगठित राजनीतिक दल भी नहीं है जिसमें भारतीय शामिल हो सकते। कुछ गुप्त दल हैं और भारतीयों ने उनमें कभी भाग नहीं लिया बल्कि भारतीयों ने उन देशों को अपना देश माना है और इस देश के लोगों ने अपने को अफ्रीकी देशों के मुताबिक बना लिया है। आज भी जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो हम यह महसूस करते हैं जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि स्थिति खराब होती जा रही है। यह वैदेशिक कार्य मन्त्रालय की कूट-नीतिक स्तर पर असफलता है। निम्न स्तर पर हमारे सार्वजनिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं।

जब भारतीय लोग वहां गये थे तो यह समूचा एक राष्ट्रमण्डल था। सारी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह सच है कि ये लोग शिष्टमण्डल में नहीं गये थे। इन्होंने उन देशों के लोगों के कल्याण और हित में काम किया है।

हमें यह मामला कूटनीतिक स्तर पर उठाना चाहिये। हमें वहां पर अपने सम्बन्ध अच्छे बनाने चाहियें। हमें वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिये कि उन देशों में भारतीय अपने को सुरक्षित समझें। मुझे आशा है कि वहां पर बसे भारतीयों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये कूटनीतिक स्तर पर बात की जायेगी और वे लोग वहीं रहेंगे। उनको कुछ सुविधायें दी जायें ताकि जो लोग भारत लौटना चाहें, लौट सकें। मैं तो यह चाहता हूं कि वे लोग वहां बसे रहें और उस देश को खुशहाल बनायें और स्वयं को खुशहाल बनायें।

श्री इकबाल सिंह (फिरोजपुर) : मैं श्री माथुर के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। यह खेद की बात है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया है। हमें कोई ऐसा मत व्यक्त नहीं करना चाहिये जिससे किसी समस्या का समाधान न हो और किसी को लाभ न हो।

इसके अतिरिक्त बर्मा से और भी अधिक व्यक्ति लौट रहे हैं। यदि पूर्व-अफ्रीकी देशों में भारतीय उद्‌भव के व्यक्तियों ने स्वतंत्रता-संग्राम में काफी भाग लिया है तो बर्मा में भारतीयों ने भी बर्मा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कम भाग नहीं लि ा

[श्री इकबाल सिंह]

लेकिन अब वहां से ८०,००० व्यक्ति आ रहे हैं। और मंत्रालय का उत्तर है कि यह स्थिति स्वयं उन्होंने ही पैदा की है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। ये लोग सहायक बन सकते हैं और सहायक हैं । चीनी आक्रमण के समय उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया । अतः ऐसे वक्तव्य नहीं दिये जाने चाहियें ।

हर कठिनाई को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के जरिये दूर किया जाना चाहिये लेकिन इस मंत्रालय के अधिकारियों का रवैया उदार और सहानुभूतिपूर्वक नहीं है। मूल कठिनाई और समस्या यही है।

अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा कि उनको धन नहीं लाने दिया जाना चाहिये । यदि उनको धन नहीं लाने दिया, गया, यदि उनके साथ कोई सहानुभूति न बरती गयी, तो वे कहां जायें। भारत सरकार को पूर्व अफ्रीका और बर्मा में भारतीयों की स्थिति पर जरा उदारता से विचार करना चाहिये । ऐसे कदम उठाये जायें जिससे वे लोग यह महसूस करें कि उनके वतन के लोग उनके कल्याण के लिये सहानुभूतिपूर्ण रुचि ले रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री माथुर की इस बात से सहमत हूं कि अफ्रीकी देशों में भारत आने के इच्छुक, चाहे वे किसी भी कारणों से आना चाहते हों, भारतीय व्यक्तियों को सभी संभव सहायता और सुविधा दी जाये । इस बारे में सरकार ने बहुत थोड़ा कार्य किया है और उसका रवैया सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा है। राज्य मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह नहीं दिया जाना चाहिये था ।

उन देशों के भारत के साथ रवैये की बात अलग है लेकिन उसको उन देशों में बसे भारतीयों के प्रति रवैये के बराबर नहीं रखना चहिये । इस पर ठीक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये और इसके लिये यह आवश्यक है कि उन विकासशील अफ्रीकी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध खराब न हों । किसी अन्य बात के अलावा हमारे देश के लिये यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है . . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जब उनको निकाला जाये तो . . . .

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि उन्हें जातीय भेदभाव पर या किसी भारतीय-विरोधी प्रक्रिया पर निकाला जाये तो मैं उन देशों को बुरा कहूंगा ।

वहां पर भारतीयों के जाकर व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूर्व-अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता के अवसर पर अफ्रीकी जनता ने इन लोगों को धनी समझा और अपने को निर्धन; उन्होंने वहां काफी धन कमाया है । इसके लिये मैं उनको दोष नहीं देता । **(अन्तर्बाधा)** अतः आर्थिक रूप से ये देश बड़े पिछड़े हुए हैं और स्वतंत्रता के समय के भारत की अपेक्षा काफी पिछड़े हुए हैं । हमें भी अपने पर नाज़ था ; पहले के वर्षों में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम भी हर चीज का भारतीयकरण करना चाहते थे । यह एक स्वस्थ राष्ट्रीय भावना है। अफ्रिका

में लगभग सारा ही व्यापार केवल भारतीयों के ही नहीं बल्कि अन्य एशियाई लोगों के भी हाथ मे चला गया है और इससे कुछ प्रतिक्रिया हुयी है । मैं यह नहीं कहता कि उन लोगों को निकालना उचित है । वहां पर असैनिक सेवा में काफी संख्या में एशियाई और भारतीय व्यक्ति हैं । वे सरकारी पदों पर हैं । किसको पता नहीं है कि युगेण्डा स्वतंत्र होने जा रहा था तो बड़ी संख्या में इन एशियाई और भारतीय व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से अपने त्यागपत्र दिये थे । विवाद यह था कि क्या ये लोग ब्रिटिश शासन-काल में प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों को प्राप्त करते रहेंगे । इन सुविधाओं के वापस लिये जाने का भय था । अफ्रीका में नयी सरकार ने कहा था कि यद्यपि ये जातीय भेदभाव नहीं बरत रहे, वे चाहते हैं कि लोगों की सेवा की शर्तें वही हों जो अफ्रीकियों की हैं जब कि ये लोग ब्रिटिश शासन-काल से प्राप्त अधिकार ही चाहते थे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है ।

मैं यह मानता हूं कि भारतीयों ने और विशेषतः गरीब लोगों ने वहां बड़ा सराहनीय कार्य किया है । वहां पर भारतीय नेतृत्व ठीक नहीं रहा है । युगेण्डा में जब बुगाडा के कबाका राज-सिंहासनारूढ़ हो रहे थे और जब शहर से, जो बहुत अच्छी तरह सजा हुआ था, उनकी सवारी निकाली जा रही जब सारी जनता खुशी मना रहीं थी तो भरतीय लोग इस समारोह से अनुपस्थित रहे ।

ऐसी बातें हुयी हैं । अतः हमें इन अफ्रीकी देशों की एक दम से आलोचना नहीं करनी चहिये कि वे भारतीयों के विरुद्ध जातिवाद की नीति अपना रहे हैं ।

पता नहीं सरकार उन लोगों के बीच में, जो भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं, कैसे हस्तक्षेप कर सकती है । स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय ये लोग ब्रिटिश नागरिक बन गये न कि अपने देश के नागरिक । सरकार अप्रत्यक्ष रूप से तो कुछ कर सकती है । लेकिन इन पर अधिक अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है । हमारे देश में अफ्रीकी विद्यार्थी हैं । यदि हम सब मिल कर उनके साथ मित्रता बढ़ायें और उनकी शिकायतों को भी दूर करें तो इससे भी अफ्रीका में भारतीयों के प्रति अच्छे सम्बन्ध स्थापित होंगे ।

बहुत से कार्य किये जाने हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि जो भारतीय इस देश में वापस आना चाहते हैं, चाहे इसका कोई भी कारण हो, जो आर्थिक स्तिथि के कारण वापस आने पर मजबूर कर दिये गये हों, उन्हें वापस आने के लिये और अपना अर्जित धन लाने के लिये सभी संभव सुविधाएं दी जायें । उनको सीमाशुल्क से कुछ छूट दी जाये ।

अन्त में मैं इस बात से सहमत हूं कि श्रीमती मेनन को, मंत्री होते हुए, देश में इस प्रकार के वक्तव्य देते नहीं फिरना चहिये । यह अनुचित है :

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की एक गल्ती यह है कि इसने भारतीय राष्ट्रजनों और भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के बीच एक बनावटी दीवार खड़ी कर दी है । कानूनी तौर पर यह ठीक हो सकता है लेकिन भारतीय राष्ट्रीयता और अपने देश के दृष्टिकोण से इस प्रकार के अन्तर

[श्री दी० चं० शर्मा]

से देश को क्षति पहुंची है। विदेशों में अपने देशवासियों को अधिकतम हानि पहुंची है। भारत में पैदा हुए हर व्यक्ति को संरक्षण दिया जाना चाहिये, चाहे वे भारतीय राष्ट्रजन हों या नहीं। हमारी सरकार की यह पहली गल्ती है।

स्थिति बनाने और बिगाड़ने में कूटनीति का बड़ा योग होता है। इस सम्बन्ध में हमारी कूटनीति असफल रही है। हमारे मिशन के लोगों ने कितनी बार वहां पर ही भारतीयों से मुलाकात की? उन्होंने केवल लोगों से पृथक् रहने का ब्रिटिश रवैया ही अपनाया और परिणाम यह हुआ कि भारतीय पृथक् समझे गये।

भारतीयों ने अफ्रीका में व्यापार जमा दिया है। वहां पर उन्होंने स्कूल बनाये हैं। जो कुछ एक मानव कर सकता है वह उन्होंने किया है। उस देश के लोगों के साथ उनके सम्बन्ध बड़े अच्छे हैं। केवल दक्षिण अफ्रीका ऐसा था जो भारतीयों की आंख का कांटा था। भारत के स्वतंत्र होने पर उसके सम्बन्ध अच्छे थे, वहां भारतीय खुश थे। लेकिन अब स्थिति क्यों बदली है? अब उनको क्यों निकाला जा रहा है? इस कारण कि हमारे देश ने हमारी सरकार ने उन लोगों की परवाह नहीं की। उनकी उपेक्षा की गयी। हमने कभी उनके कल्याण की बात नहीं सोची।

हमें अपने मिशनों अथवा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के जरिये भारत का स्वरूप बनाना होता है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री ने क्या स्वरूप पेश किया जैसे कि हम उन लोगों को नहीं चाहते हैं, हमने उन्हें निकाल दिया है और हमारा अब उनसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हमें संसार के सामने यह बात रखनी चाहिये कि हर भारतीय में, चाहे उसने कोई अन्य राष्ट्रीयता अपना ली हो, भारत की संस्कृति और परम्पर भरी है और वह हमारा भाई है। चीन की बात भी कही गयी--चीन में दो चीन हैं--क्योमितांग चीन और माओ चीन। लेकिन विदेशों में जब भी वे कहते हैं 'चीनी' कहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन भारत एक है और एक रहेगा, फिर भी सरकार उनको भारतीय नहीं मानती और उनको संरक्षण नहीं देती।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं श्री माथुर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सम्मुख चर्चा के लिये उठाया है क्योंकि इससे हमें ससार के विभिन्न भागों में रहने वाले अपने बन्धु-बान्धवों की अवस्था पर विचार करने का अवसर मिला है। पिछली शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में हमारे सहस्त्रों पुरुष व महिलायें अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य देशों में गये हैं। कनाड़ा और अमेरिका में वे लोग अच्छी तरह से बसे हुए हैं। अन्य देशों में वे उनके लिये इमारतों का और कारखानों का निर्माण करने के लिये प्रवीण और अर्धप्रवीण श्रमिकों के रूप में, कृषि फार्मों की स्थापना करने के लिये कृषकों के रूप में और बहुत से व्यापरियों के रूप में गये हैं। उन देशों की औद्योगिक प्रगति और अन्य विकास में उनका अंशदान है।

यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखने की यह है कि वे लोग सार के संचाहे किसी भी भाग में क्यों न रहते हों, जब तक वे भारतीय हैं, उनकी सहायता करना तथा उनक

संरक्षण करना हमारी सरकार का कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व है। परन्तु खेद की बात यह ह कि हमारी सरकार ने इसे कत्तव्य रूप मे नहीं निभाया है।

कुछ समय पूर्व जब मैंने जंजीबार में रहने वाले उन भारतीयों के बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पूछा था जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर वहां जाकर बसे हैं और जिनकी बहुत हानि और अपमान किया गया है उनको वहां से ठीक प्रकार से निकाल लाने के लिये क्या किया गया है, तो मुझ यह उत्तर दिया गया था कि क्योंकि वे लोग ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर गये हैं अतः उन के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मैं इस दष्टिकोण से बिलकुल भी सहमत नहीं हूं। प्रत्येक भारतीय का, जोकि अपनी मातृभूमि के लिये सच्चा है, यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि संसार के किसी भी भाग में रहने वाले हमारे भारतीय भाई-बहिनों का अपमान न हो।

बर्मा में व्यापार और वाणिज्य के राष्ट्रीयकरण किये जाने के परिणामस्वरूप बड़े बड़े व्यापारगहों और कारखानों के मालिक सहस्रों भारतीय आज बेकार और जीविका-विहीन हो गये हैं। सरकार को यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये कि जो लोग यहां आना चाहते हों उनका शीघ्र ही निष्क्रमण किया जाये तथा उन्हें यहां बसाया जाये। उन्हें दीर्घावधि ऋण दिये जायें जोकि सरल किश्तों में लौटाये जाने हों जिस से कि वे पुनः अपने जीवन यापन की व्यवस्था कर सकें। संकटावस्था में उनका साथ नहीं छोड़ा जाना चाहिये अन्यथा समस्त देश में हमारी बदनामी होगी। संसार को समस्त देश के लोगों को अपने कार्य से इस बात से संतुष्ट करना चाहिये कि वह दूरस्थ देश में रहने वाले हमारे बन्धुबान्धवों का ध्यान रखती है। जिन वर्तमान परिस्थितियों में व डाल दिये गये हैं उनमें उनकी सहायता जानी चाहिये।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेशों में भारतीय उद्भव के लोगों के प्रश्न पर विचार करने के लिए इतिहास के कुछ ही पिछले पृष्ठों को उलटना होगा। सब से पहले भारतीय लोग लगभग १०० वर्ष पहले पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में गये थे। यूगान्डा में उन्होंने रेलरोड के निर्माण जैसा कठिन कार्य किया। १८५३-५५ के पूर्व अफ्रीकी रायल कमीशन के अनुसार भारतीयों ने वहां पर व्यापार के क्षेत्र में अद्भुत साहस और दढ़ता का परिचय दिया था। आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त, वहां के राजनीतिक आन्दोलन में भी बहुत से व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् सब से पहिले भारतीय समुदाय के लोगों ने ही सांझा मतदाता सूची बनाने पर जोर दिया जोकि बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक अफ्रीकी लोगों की मुख्य मांग हो गई। इस प्रकार भारतीय उद्भव के लोगों ने अफ्रीका के आर्थिक विकास तथा राजनीतिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लिया। परन्तु कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात से कोई सरोकार ही न रखा कि उस देश में क्या कुछ हो रहा है। इसका कारण कुछ तो यह था कि वह अपने कामों में ही लगे रहे और कुछ यह कि उन्होंने भारत के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा था। इस प्रकार ये लोग अफ्रीकी लोगों से अलग से हो गये। वहां के तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने सम्पत्ति आदि के मामले में भारतीयों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके प्रोत्साहन दे देकर इस अलगाव को बढ़ावा दिया। वहां प्रत्येक नगर में एक यूरोपीयन क्षेत्र के साथ एक भारतीय क्षत्र रखा गया जिसमें अफ्रीकियों को रहने की अनुमति नहीं थी और वे

[श्री दिनेश सिंह]

नगर से बाहर रहते थे। भारतीय उद्भव के लोग इस जंगल में फंस गये और वहां के लोगों से अलग होते गये।

जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रश्न यह उठा कि जिन देशों में इंगलैंड का साम्राज्य था और उनमें रहने वालों की एक ही नागरिकता अर्थात् ब्रिटिश नागरिकता थी, तो अब वहां रहने वाले भारतीयों का क्या होगा। प्रधान मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कहा था कि संसार के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीय चाहे भारतीय राष्ट्रीयता अपनाए रखें अथवा जहां वह रहते हैं उस देश की राष्ट्रीयता को अपना लें, यह बात पूर्णतया उन पर ही छोड़ी जाती। यदि वे भारतीय राष्ट्रीय जन रहते हैं तो उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जायगा और वे उस देश की राष्ट्रीयता अपनाते हैं तो उन्हें उस देश के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिये। उन में से बहुतसों ने ब्रिटिश राष्ट्रीयता को बनाए रखने तथा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई विधियों से शासित होने का निश्चय किया। जब ये देश स्वतंत्र हो गये तो उनकी स्वतंत्र सरकार ने कुछ विशेष शर्तों के साथ उन से वहां की राष्ट्रीयता अपनाने का प्रस्ताव किया। जिन बहुतसे लोगों ने उन देशों की नागरिकता स्वीकार कर ली, उन्हें अब अफ्रीकियों के समान अधिकार तथा सुविधायें प्राप्त हैं। परन्तु उनमें से अब भी बहुत से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें नागरिकता चुनने का समय, कम से कम केन्या और उगान्डा में तो मिला हुआ है। इस से कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई है। श्री डी० सी० शर्मा ने जो अमरीका में बसे हुए लोगों का उदाहरण दिया था उस सम्बन्ध में मैं आप को यह बता दूं कि दोनों महायुद्धों में उन लोगों ने अमरीकी राष्ट्रीयता अपनाने के कारण अपनी मातृभूमि के ही विरुद्ध लड़ाई में भाग लिया था। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे कोई देश स्वीकार नहीं करेगा। यह भी आरोप लगाया गया है कि हमारे राजनयिक दूतावासों ने ठीक तरह से कार्य नहीं किया है और इन लोगों के एकीकरण में सहायता नहीं की है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई छुटपुट शिकायतें तो हो सकती हैं परन्तु अधिकांशतः अफ्रीका स्थित हमारे दूतावासों ने इस संबंध में बहुत कठिन कार्य पूरा कर दिखाया है क्योंकि उन्होंने वहां पर भारतीय उद्भव के लोगों, उन देशों तथा भारत सभी के हित का ध्यान रखा है तथा उन्हें तदनुसार ही सलाह दी है।

मैं इस बात से तो सहमत हूं कि उन देशों में भारदीय उद्भव के लोगों के प्रति हमारा कुछ कर्त्तव्य है। जो हमारे नागरिक बन गए हैं कि उन की सुरक्षा के लिए और उन्हें यहां पर लाने के लिए हम उन्हें अनेक सुविधायें दे रहे हैं। परन्तु जो लोग अभी तक हिचकिचा रहे हैं उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि वे दृढ़तापूर्वक कोई निश्चय करें और यदि व वहां के नागररिक बनते हैं तो अपना व्यापार आदि जारी रखने का प्रयत्न करें तथा भविष्य का सामना करने में साहस का परिचय दें। भारत में वापिस आने वाले लोगों के लिए हम ने उन के और उन की वस्तुओं के परिवहन आदि की सुविधायें दे रखी हैं। पूर्व अफ्रीका से इस समय हमारी तीन विमान सेवा चल रही हैं जिनमें प्रति माह लगभग ८०० से १२०० तक व्यक्ति आते हैं। अगस्त के अन्त तक हम एक दूसरा जहाज चला रहे हैं जोकि माह में ६ बार यात्रा करेगा तथा प्रत्येक यात्रा में लगभग ६०० व्यक्ति भारत ला सकेगा। वित्त मंत्रालय ने निवासस्थान का हस्तांतरण के अधीन उन्हें सुविधाएं देने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों से कहा हुआ है। वे अपना समस्त धन और कुछ प्रतिन्धों के साथ, मशीनें, व्यापार स्कन्ध, कारें, मोटर साइकिलें और अन्य सामग्री ला सकते हैं। राज्य सरकारें भी उन लोगों को छोटे पैमाने के और ग्राम उद्योगों के लिए तथा औद्योगिक उपक्रमों के लिए ऋण आदि की सुविधायें देने के लिए

तैयार हैं। इस प्रकार उन देशों में भारतीय उद्भव के लोगों की, जो कि भारतीय नागरिक बन गए हैं, सरकार सहायता करती रही है।

ये लोग उन देशों में महान कठिनाई में होकर गुजर रहे हैं क्योंकि वहां संक्रमण काल चल रहा है तथा अफ्रीकीकरण का प्रश्न है जैसाकि स्वतंत्रता के समय हमारे देश में भारतीयकरण का था, परन्तु ये सब बातें इस समस्या का सावधानीपूर्वक सामना करने से ही हल हो सकती हैं, भावनाओं में बहने मात्र से नहीं।

---

*महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण
**REVISION OF DEARNESS ALLOWANCE

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करने से पहिले, मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे दो-तीन मिनट का एक वक्तव्य इस सम्बन्ध में दें।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य देशनांक की बारह महीने की औसत के आंकड़े के जनवरी १९६४ में १३५ पर पहुंचने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के देय महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। द्वितीय वेतन आयोग द्वारा यह इस सम्बन्ध में जो सिफारिश की गई थी और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उसी के अनुसार इस पर विचार किया जा रहा है। निर्णय लगभग एक सप्ताह में सुना दिया जायगा तथा परिवर्तित दरें, १फरवरी, १९६४ से लागू होंगी। जनवरी के महीने का मूल्य देशनांक मार्च के तृतीय सप्ताह में ही उपलब्ध हो सका अतः इस पर पहिले विचार नहीं किया जा सका।

महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त की गई समितियों के प्रतिवेदनों के प्राप्त होने पर बम्बई और गुजरात नगरों के मूल्य देशनांकों में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप इस औसत मूल्य देशनांक के आंकड़ों में अचानक वृद्धि हो गई जोकि दो पाइन्ट्स की थी। अन्यथा तो, कदाचित यह जनवरी के महीने में न होती।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे इस घोषणा को सुनकर वास्तव में आश्चर्य हुआ है क्योंकि मैं तो समझता था कि महंगाई भत्त में कुछ वृद्धि की घोषणा की जायेगी। कदाचित वित्त मंत्री ने यह सोचा होगा कि इससे देश में यह धारणा बन जायेगी कि इस चर्चा के परिणामस्वरूप वृद्धि की यह घोषणा की गई है। इस मामले में मैं विजय प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में बढ़ती ही असन्तोष की भावना को पहचाना है और एक सप्ताह बाद वृद्धि की घोषणा करने को कहा है। अच्छा होता यदि वह एक या दो दिन में सदन में ही इसकी घोषणा करते।

वित्त मंत्री की सहायता के लिये मैं यह बताऊंगा कि ठीक ठीक निर्णय लेने के लिये ठीक आधार क्या होना चाहिये। आज इसका स्पष्ट चित्र मेरे सामने है कि मूल्यों पर नियंत्रण रखने में सरकार की असफलता के कारण केन्द्रीय सरकार के २२ लाख कर्मचारी

*आधे घंटे की चर्चा।
**Half-an-hour discussion.

[श्री स० म० बनर्जी]

और बैंक कर्मचारी, बीमा कर्मचारी तथा अन्य श्रमजीवी कर्मचारी किस प्रकार क्रोध और नैराश्य में डूबे हुए आर्तनाद कर रहे हैं तथा वे अन्तरिम सहायता के रूप में मूल वेतन में २० प्रतिशत वृद्धि चाहते हैं ।

निर्वाह-व्यय में वृद्धि के अनुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के लिये सरकार की अस्वीकृति के कारण १९६० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी ।

प्रथम वेतन आयोग का फारमूला सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य था परन्तु द्वितीय वेतन आयोग का जो फारमूला स्वीकार नहीं किया गया था और जिसके लिये १९६० में हड़ताल हुई थी, वह एक विधान बना कर, १७००० केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जेल में बन्द करके, २७,००० को मुअत्तिल करके और बहुत सों को नौकरी से निकाल कर, सरकारी कर्मचारियों पर लाद दिया गया । परन्तु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अस्वीकृत द्वितीय वेतन आयोग की इस सिफारिश को भी न्यायोचित रूप में क्रियान्वित नहीं किया गया । १९६१ में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केवल ५ और १० रुपये की वृद्धि की गई । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ ने यह चाहा कि सम्पूर्ण प्रश्न न्याय निर्णयन के लिये सौंप दिया जाये क्योंकि द्वितीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में यह नहीं कहा था कि शर्तों के पूरा होने पर मंहगाई भत्ते में कितनी अथवा किस सूत्र के आधार पर वृद्धि की जाये । १ जलाई, १९६३ को फिर २, ५ और १० रुपये की वृद्धि कर दी गई । द्वितीय वेतन आयोग की प्रतिकुल सिफारिशों के अनुसार भी मूल्य १२५ पाइन्ट्स तक १ नवम्बर, १९६१ को पहुंच गये थे और तभी से मूल्यों में वृद्धि के बराबर मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिये थी, परन्तु १ जलाई, १९६३ से वृद्धि देकर सरकारी कर्मचारियों को २१ महीने की मंहगाई भत्ते के एरियर्स से वंचित रखा गया । हमने बहुत से पत्रों में वित्त मंत्री को यह स्थिति स्पष्ट भी की परन्तु उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया । यह देखा गया है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनांक की औसत फरवरी, १९६४ से १२५ पाइन्ट्स को पार कर गई है । कर्मचारियों को उनके वेतन, जो कि पहले ही न्यूनतम स्तर से कम है, के दस प्रतिशत की हानि हो रही ह । सरकार को मूल्यों में १३५ पाइन्ट्स तक वृद्धि के अनुसार ही मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने से हिचकिचाना नहीं चाहिये तथा १२५ पाइन्ट्स तक १ नवम्बर, १९६१ से भूतलक्षी प्रभाव से वृद्धि देनी चाहिये ।

१ जलाई, १९६३ से १३५ अंकों तक बढ़े मूल्य देशनांक का पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिये । अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनांक को ठीक आधार पर तैयार किया जाना चाहिये । सरकार को इस बारे में नियुक्त की गई समितियों की सिफारिशों को ठीक तरह से कार्यान्वित करना चाहिये । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कम से कम १० रु० की वृद्धि की जानी चाहिये अन्यथा अखिल भारतीय आधार पर आन्दोलन होने की आशंका है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री महोदय ४०० से १००० रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते की सीमा के अन्तर्गत लाना चाहते हैं । मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिये कि क्या वे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं । सरकार को मंहगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में एक ठोस तरीका अपनाना चाहिये ताकि सरकारी कर्मचारियों को आन्दोलन करने के लिये मजबूर न होना पड़े ।

श्री नाथ पाई (राजापुर): मैं वित्त मंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते के बारे में काफी समय से आन्दोलन करते रहे हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या फार्मूला लागू करने जा रही है। सरकार मूल्यों को स्थिर रखने में असफल रही है। संयुक्त अरब गणराज्य भी भारत की तरह एक विकासशील देश है परन्तु वहां पर अत्यावश्यक वस्तुओं के दामों में पिछले दस वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सरकार के मूल्यों के स्थिर न रख सकने के कारण सरकारी कर्मचारियों का जीवन-स्तर गिरता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों को इलाज की सुविधा और सस्ता अनाज आदि देने के बारे में भी सोच रही है और क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ राहत देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : चूंकि गत दो वर्षों में कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है, इसलिये क्या सरकार कम से कम १ अप्रैल, १९६२ से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? क्या सरकार किसी फार्मूले के आधार पर महंगाई भत्ते को निर्वाह मूल्य से सम्बद्ध करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ताकि मूल्यों में हुई वृद्धि को निष्प्रभावी बनाया जा सके ?

श्री दाजी (इन्दौर) : सरकार जो व्यवस्था करने जा रही है क्या वह भविष्य में भी लागू होगी ताकि १० अंकों की वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी आन्दोलन का प्रश्न ही न उठ सके ? क्या सरकार अपने माता-पिता के साथ रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा भत्ता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक कीमतों के बढ़ने का प्रश्न है, मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि इस समस्या को हल किया जाना चाहिये। माननीय सदस्यों को यह महसूस करना चाहिये कि महंगाई भत्ते में थोड़ी सी बढ़ोतरी से ही सरकारी व्यय में लगभग २० करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी जबकि सरकार बजट के घाटे को पूरा करने के लिये इधर उधर से धनराशि प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। यदि कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के लिये वचनबद्ध है। संसद् के सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं कि हमें बैठ कर कोई हल निकालना चाहिये ताकि कीमतों का बढ़ने से रोका जा सके और जो लोग कीमतें बढ़ा कर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का अनुचित लाभ उठाते हैं उनको दण्ड दिया जा सके। हम नियत वेतन प्राप्त करने वाले सभी निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों को मूल्य वृद्धि के कारण हुई कठिनाइयों से अवगत हैं। सरकार अप्रत्यक्ष रूप में इन लोगों को राहत देने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार कर रही है ताकि दूकानदार उसका लाभ न उठा सकें। सरकार उन्हें सुरक्षात्मक (सिक्योरिटी) लाभ तथा स्वास्थ्य लाभ आदि देने के बारे में भी सोच रही है। परन्तु हमें अन्य मंत्रालयों तथा योजना आयोग के सहयोग से ये उपाय करने हैं। हालांकि हमें अधिक तेजी से देश का विकास करने के लिये अधिक संसाधनों की आवश्यकता है फिर भी हम अपने सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिये हमें कठिनाई से जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों को उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिये काफी राहत देनी पड़ेगी। मंत्रिमण्डल की बैठक गुरुवार से पहले नहीं हो सकेगी, इसलिये सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के प्रश्न पर इस सभा के वर्तमान सत्र के समाप्त होने से पहले निर्णय नहीं किया जा सकता।

१००० रु० से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कुछ मुआवजा देने के बारे में भी विचार किया जा रहा है, परन्तु मैं अभी यह नहीं कह सकता

कि यह सीमा कहां तक बढ़ाई जायेगी । सरकार सरकारी कर्मचारियों को पूरा मुआवजा देने में असमर्थ है । द्वितीय वेतन आयोग ने भी पूरा मुआवजा देने की सिफारिश नहीं की है क्योंकि वह बहुत अधिक बैठता है । सरकार की महंगाई भत्ते आदि में वृद्धि करने के बारे में निर्णय करने में जानबूझ कर देरी करने की कोई मंशा नहीं है । बम्बई तथा अहमदाबाद के मूल्य देशनांकों के आंकड़े हमें मार्च के अन्त में प्राप्त हुये और इसी कारण निर्णय करने में कुछ देर हो गई है । मैं चाहता हूं कि संयुक्त अरब गणराज्य की तरह हम भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को कोई अनाज सस्ते दामों पर उपलब्ध करने के लिये सहमत हो जायें और अन्य नियोजकों को भी ऐसा करने के लिये बाध्य किया जा सके । इस मामले की जांच की जा रही ह ।

कम पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को राहत देने के रास्ते में एकमात्र कठिनाई संसाधनों की कमी है । फिर भी मैं इस मामले को ध्यान में रखूंगा ।

मुझे आशा है कि शिक्षा सुविधा के बारे में भी सरकार कुछ कर सकेगी । इससे सरकार पर भारी बोझ पड़ने वाला नहीं है क्योंकि राज्य सरकारें कुछ स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिये तैयार हैं । बसों के किराये में हुई वृद्धि से हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई है । सरकार को निम्न आय वर्गों के लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है, परन्तु उनको इस बारे में कोई राहत देने के रास्ते में एकमात्र कठिनाई अतिरिक्त धन उपलब्ध करने की है । सरकार माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर सहानुभुतिपूर्वक विचार करेगी ।

राज्य सभा के सदस्य के गलती से लोक-सभा में प्रवेश के बारे में—जारी

MISTAKEN ENTRY OF RAJYA SABHA MEMBER INTO LOK SABHA—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय: आज एक व्यक्ति, जो लोक-सभा का सदस्य नहीं था, गलती से सभा में आ गया था और आपत्ति उठाये जाने पर मैंने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया था । अध्यक्ष महोदय को इस बारे में निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है :

> "मैं राज्य सभा का नव नाम-निर्देशित सदस्य हूं और मैं गलती से राज्य सभा की बजाय लोक-सभा भवन में चला गया । परन्तु जैसे ही मुझे अपनी गलती का अनुभव हुआ, मैं उस सभा से उठ कर बाहर चला आया । मैं इस घटना के लिये हृदय से क्षमा-याचना करता हूं ।"

एक माननीय सदस्य : उनका नाम क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नाम श्री अजमल खां है । मेरा विचार है कि इस पत्र को ध्यान में रखते हुए, इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

इसके पश्चात्, लोक-सभा मंगलवार, ५ मई, १९६४/१५ वैशाख, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 5th May, 1964/Vaisakha 15, 1886 (Saka).